सामाजिक आकलन

एवं

सामाजिक प्रबंधन ढांचा

सामाजिक आकलन, जेंडर समानता और सामाजिक समावेशन (जीईएसआई) दिशा–निर्देश और स्वदेशी जन नीति ढांचा (आईपीपीएफ) प्रदान करना

नई मंजिल

अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित युवाओं को शैक्षिक और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की एक योजना

सितंबर 24, 2015

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

भारत सरकार

संक्षिप्तियों की सूची

एएमए	आकलन एवं मॉनीटरिंग प्राधिकारी
सीसीडी	संरक्षण एवं विकास
सीपीएस	देहात सहभागिता कार्यनीति
सीएसएस	केंद्रीय प्रायोजित योजानाएं
सीडब्ल्यूसी	केंद्रीय वक़्फ परिषद
ईओसी	समान अवसर आयोग
जीईएसआई	जेन्डर समानता तथा सामाजिक समावेशन
जीओआई	भारत सरकार
आईपीपी	स्वदेशी जन नीति योजना
आईपीपीएफ	स्वदेशी जन नीति ढांचा
एमएईएफ	मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान
एम एंड ई	मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन
एमओएमए	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
एमओटीए	जनजातीय कार्य मंत्रालय
एनसीटीई	राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद
एनडीबी	राष्ट्रीय डाटा बैंक
एनजीओ	गैर–सरकारी संगठन
एनएमडीएफसी	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम
एनएसक्यूएफ	राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा
एनएसएस	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण
ओबीसी	अन्य पिछड़ा वर्ग
पीडीओ	परियोजना विकास उद्देश्य
पीआईए	कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियां
पीटीजी	आदिम जनजातीय समूह
पीएससी	लोक सेवा आयोग
एससी	अनुसूचित जाति

एसएलपी	विशेष अनुमति याचिका
एसएमएफ	सामाजिक प्रबंधन ढांचा
एसटी	अनुसूचित जनजाति
टीआरआई	जनजातीय अनुसंधान संस्थान
टीआरआईएफईडी	भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास फेडरेशन लिमिटेड
यूजीसी	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
वीओ	स्वैच्छिक संगठन
डब्ल्यूपीआर	कार्य सहभागिता दर

विषय–सूची

1. प्रस्तावना

2. परियोजना विवरण

3. सामाजिक आकलन

क. अल्पसंख्यकों की स्थिति,

ख. न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा रिपोर्ट और न्यायमूर्ति सच्चर समिति रिपोर्टों का सार

4. कानूनी तथा संस्थागत विन्यास

क. संवैधानिक प्रावधान
ख. अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण करने वाले कानून
ग. अल्पसंख्यकों को सशक्त बनाने वाली योजनाएं

5. नीति ढांचा

क. जेंडर समानता और सामाजिक समावेशन दिशा–निर्देश
ख. स्वदेशी जन नीति ढांचा

6. कार्यान्वयन प्रबंध

आमुख

यह दस्तावेज़ विश्व बैंक द्वारा सहायता प्रदत्त नई मंज़िल– अल्संख्यक समुदायों से गरीब युवाओं को शिक्षा और बाजार–संचालित जॉब कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की एक योजना के लिए अल्पंख्यक कार्य मंत्रालय (एमओएमए), भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया है। इस सामाजिक प्रबंधन ढांचे (एसएमएफ)में सामाजिक आकलन, जेंडर समानता और सामाजिक समावेशन दिशा–निर्देश तथा स्वदेशी जन नीति ढांचा (आईपीपीएफ) शामिल है। सामाजिक आकलन अल्पसंख्यकों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति, अल्पसंख्यकों के बारे में सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा और न्यायमूर्ति सच्चर द्वारा तैयार महत्वपूर्ण स्वतंत्र रिपोर्टों का सारांश और अल्पसंख्यकों को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं का चित्रण करता है। एसएमएफ कानूनी संस्थागत विन्यास, जीईएसआई दिशा–निर्देशों, आईपीपीएफ, परामर्शी ढांचे सहित कार्यान्वयन प्रबंधों, शिकायता निवारण तंत्र, मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन तथा बजट का विवरण प्रस्तुत करता है। यह दस्तावेज उपयोगी आंकड़ा, सूचना और गौण स्रोतों से विभिन्न मुद्दों के विश्लेषण को संकलित करते हुए तैयार किया गया है। एसएमएफ यहाँ विचारित मुद्दों के मूल विद्वत्तापूर्ण विश्लेषण का दावा नहीं करता है और विभिन्न विद्वानों और सूचना प्रदानकर्ताओं के काम पर निर्भर रहा है जिनका उल्लेख पाद–टिप्पणियों में किया गया है। पाद–टिप्पणियों में किसी अंशदानकर्ता का नाम और सूचना स्रोत का उल्लेख करने में विफलता के लिए खेद है। हम इन सभी स्टेकहॉल्डरों का धन्यवाद करते हैं जिन्होनें नई मंज़िल योजना और एसएमएफ में महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार–विमर्श के लिए सितंबर 16, 2015 को इस्लामिक सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित मंत्रणा में भाग लिया।

संयुक्त सचिव,

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

1. प्रस्तावना

1.1 भारत में हाल के वर्षों में प्रभावशाली प्रगति हुई हैं। भारत की जीडीपी 2007–2012 के बीच औसतन 7.3% रही है। प्रगति के साथ भारत में गरीबी को कम करने में, विशेषकर पिछले दशक में, उल्लेखनीय प्रगति की है। सामाजिक सेवाओं में विस्तार के परिणामस्वरूप भारत गरीबी को आधा करने के लिए प्रथम एमडीजी को पार कर गया है। 2005–2012 के बीच 138 मिलियन लोग गरीबी से बाहर आएं हैं। भारत में जीवन प्रत्याशा 1947 में 31 वर्ष से 2013 में दोगुने से भी ज्यादा बढ़कर 66.5 वर्ष हो गई है और प्रौढ़ साक्षरता 1951 में 18% से 4 गुणा बढ़कर 2011[1] में 74% हो गई है। हालांकि, मानव विकास में इन सफलताओं का भारतीय जनसंख्या के सभी वर्गों को समान रूप से लाभ नहीं मिला है। भारत के हाशिये पर रहने वाले अधिकांश नागरिक अभी भी आर्थिक विकास से लाभान्वित नहीं हुए हैं। क्योंकि समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के अभिकेंद्रीत ध्यान के बावजूद कुछ समूह बहुत से अवसरों तक पहुंच बनाने में दूसरे समूहों से पीछे रह रहे हैं।

1.2 भारत सरकार ने 6 धार्मिक समुदायों, अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, जैन और पारसी को अल्पसंख्यकों के रूप में वर्गीकृत किया है। सभी अल्पसंख्यकों को मिलाकर ये भारत की जनसंख्या का लगभग 18% अथवा लगभग 225 मिलियन लोग हैं। मुस्लिम भारत की जनसंख्या का 13.8% की दर पर सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह है, उसके बाद ईसाई 2.1%, सिक्ख 1.7%, बौद्ध 0.6% और पारसी 0.004% है। अल्पसंख्यकों के विकास सूचक राष्ट्रीय औसत से नीचे है। अन्य अल्पसंख्यकों की तुलना में सभी अल्पसंख्यकों का 75% से अधिक होते हुए मुस्लिमों की श्रमिक बाजार सहभागिता, आमदनी और शिक्षा प्राप्ति कम है। मुस्लिमों में गरीबी की घटनाएं राष्ट्रीय औसत से ग्रामीण क्षेत्रों में 6% और शहरी क्षेत्रों में 4% अधिक है, जबकि उनकी शिशु और पांच वर्ष से नीचे के शिशुओं की मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से थोड़ा नीचे है जो कि 1000 जीवित जन्म लेने वाले बच्चों के औसत 57 और 74[2] की तुलना में 52 और 70 है। मुस्लिमों[3] में महिला कुपोषण और रक्त की कमी तथा अवरूद्ध विकास से पीड़ित बच्चों की घटनाएं राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। अन्य अल्पसंख्यक वर्गों के लिए सूचक अपेक्षाकृत बेहतर है लेकिन वहां महत्वपूर्ण क्षेत्रीय असमानताएं हैं।

1.3 अल्पसंख्यक समुदायों के समान विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत सरकार ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में से 2006 में एक अलग अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (एमओएमए) बनाया। उसी वर्ष, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री की एक उच्च स्तरीय समिति ने भारत के मुस्लिमों के लिए अवसरों में निष्पक्षता और समानता की कमी पर प्रकाश डालते हुए भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अपेक्षित विभिन्न प्रकार की सहायता की पहचान की जिनमें शासन में उनकी भागीदारी बढ़ाना, ऋण और सरकारी कार्यक्रमों तक पहुंच बढ़ाना, समुदाय पहलों को प्रोत्साहित करना, स्कूल शिक्षा अवसरों पर और अधिक सुनिश्चित ध्यान केंद्रित करना और गैर–मैट्रिकों को तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण का विस्तार करना शामिल है।

---

[1] विश्व विकास सूचक; विश्व बैंक

[2] तनवीर फज़ल; मिलेनियम विकास लक्ष्य और भारत के मुस्लिम; ऑक्सफैम इंडिया (जनवरी 2013)

[3] भारत मानव विकास रिपोर्ट 2011; अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान, योजना आयोग

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए जून 2006 में प्रारंभ किए गए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम ने "आर्थिक क्रियाकलापों और रोजगार में मौजूदा और नई योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यकों का समान हिस्सा" सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम मध्यस्थों की पहचान की। यह सुनिश्चित करना कि दलितों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय के अल्पसुविधा प्राप्त वर्गों को मिलें।

1.4 अल्पसंख्यक समूहों के साक्षरता और शिक्षा स्तरों श्रमिक सहभागिता के अर्थों में अल्पसंख्यक समूहों की सापेक्ष असुविधाओं को देखते हुए अल्पसंख्यक युवकों को उनके सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शिक्षा और कौशल सहायता प्रदान करने हेतु भारत सरकार ने नई मंज़िल (नए क्षितिज) नामक एक नवीन पहल शुरू की है।

2. परियोजना विवरण

2.1 भारत सरकार ने एक लचीले एकीकृत शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम की जरूरत को पहचाना जिसने तेजी से बदलती दुनिया में विभिन्न कार्यों को सीखने और उनके अनुकूल बनने के लिए अल्पसंख्यक समुदायों के युवकों के लिए आवश्यक कौशल प्रदान किया। अतः भारत सरकार ने 8 अगस्त, 2015 को "नई मंज़िल" योजना ("नए क्षितिज" योजना), एक व्यापक शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रम, का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के डिज़ाइन में बुनियादी शिक्षा प्रमाणन की सहायता करने की संकल्पना थी जिससे कि युवा अधिकांश प्रवेश–स्तर की नौकरियों के लिए पात्र हो सकें और उन्हें ऐसा कौशल प्रदान किया जा सकें जिससे वे श्रम बाजार में बेहतर काम कर सकें। नई मंज़िल का उद्देश्य अल्पसंख्यक युवकों को शिक्षा और बाजार संगत कौशल प्रशिक्षण के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम पेश करते हुए उनके श्रम बाजार परिणामों में सुधार करना है। यह योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राष्ट्रीय अल्पंसख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के साथ भी जुड़ी होगी जो अल्पसंख्यक युवकों को ऋण प्रदान करता है। यह योजना 1,228 समुदाय विकास ब्लॉकों को कवर करेगी जहां अल्पसंख्यक जनसंख्या कम से कम 25% हैं।

2.2 भारत सरकार के राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन में 2022 तक 500 मिलियन कामगारों के प्रशिक्षण का घोषित लक्ष्य है। इस संबंध में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार करने की चुनौती को पूरा करने, गरीबी को और कम करने और साझी समृद्धि को बढ़ाने के लिए सरकारी से लेकर निजी संस्थानों के सम्मिलित प्रयासों की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, विश्व बैंक ग्रुप की भारत देश साझेदारी कार्यनीति (सीपीएस) रूपांतरण स्तंभ के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में उत्पादक रोजगार के लिए बाजार–संचालित कौशल विकास में सुधार के साथ–साथ समावेशन स्तंभ के अधीन बहिष्कृत आबादी समूहों की सेवाओं और अवसरों तक पहुंच में सुधार करने पर बल देती है। प्रस्तावित परियोजना अल्पसंख्यक युवकों की शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान देते हुए इन उद्देश्यों में योगदान देती है और यह सीपीएस कार्यनीति के अनुरूप है।

2.3 **परियोजना विकास उद्देश्य और लाभार्थीः** परियोजना विकास उद्देश्य अल्पसंख्यक समूहों से युवाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा पूरी करने में सुधार और बाजार संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम तक पहुंच प्रदान करना है।

2.4 **परियोजना के मुख्य लाभार्थियों में शामिल हैंः** (क) अल्पसंख्यक समूहों से 17–35 वर्ष की आयु के युवा जो कक्षा 8 या कक्षा 10 के शिक्षा प्रमाण–पत्र और किसी बाजार–संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम से लाभ उठाना चाहते हैं। (ख) शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदानकर्ताओं को कार्यक्रमों, पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षण विधियों और शिक्षा एवं प्रशिक्षण सामग्री के राष्ट्रीय स्टॉक के विकास से लाभ मिलेगा। (ग) निजी क्षेत्र और नियोक्ता जिनको अधिक संख्या में और बेहतर गुणवत्ता वाले युवकों का लाभ मिलेगा।

2.5 **पीडीओ स्तर के परिणाम सूचकः** पीडीओ की उपलब्धि के लिए प्रगति मापने के लिए निम्नलिखित परिणाम सूचक प्रयोग किए जाएंगेः

(क) नामांकित लक्षित लाभार्थियों की संख्या जो मुक्त स्कूल व्यवस्था के जरिए माध्यमिक शिक्षा प्रमाण–पत्र प्राप्त करते हैं।

(ख) नामांकित लक्षित लाभार्थियों की संख्या जो एक श्रम बाजार संगत क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता–प्राप्त कौशल प्रमाण–पत्र प्राप्त करते हैं।

(ग) नामांकित लक्षित लाभार्थियों की संख्या जो (स्व–रोजगार और इंटर्नशिप सहित) एकीकृत कार्यक्रम पूरा करने के 6 महीने के बाद रोजगार प्राप्त करते हैं।

(घ) नामांकित लक्षित लाभार्थियों की संख्या जो एकीकृत कार्यक्रम पूरा करने के 6 महीने के बाद शिक्षा अथवा कौशल प्रशिक्षण में और आगे व्यावसायिक अर्हता प्राप्त करते हैं।

2.6 परियोजना घटक

नई मंज़िल योजना आर्थिक रूप से वंचित/अल्प–सेवित अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा और कौशल अवसर प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। परियोजना में दो घटक होंगे जिन्हें इस योजना के कार्यान्वयन में सहायता के लिए कार्यनीतिक रूप से डिज़ाइन किया गया है। घटक 1 शिक्षा तक उन्नत पहुंच और कौशल प्रशिक्षण की बढ़ी हुई बाजार संगतता को प्रोत्साहित करेगा। घटक 2 प्रणाली सुदृढ़ीकरण पर ध्यान देने के साथ–साथ कार्यक्रम समन्वय, तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण, परिणाम मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन और अनुसंधान तथा संचार के माध्यम से घटक 1 के कार्यान्वयन को सहायता प्रदान करेगा।

(क) घटक 1: सवंर्धित शिक्षा और बाजार संगत प्रशिक्षण के लिए परिणाम आधारित वित्त–व्यवस्था (यूएसडी 45 मिलियन)

(ख) घटक 2: नई मंज़िल योजना के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सहायता (यूएसडी 5 मिलियन)

2.7 **घटक 1: सवंर्धित शिक्षा और बाजार संगत प्रशिक्षण के लिए परिणाम आधारित वित्त–व्यवस्था (यूएसडी 45 मिलियन):** नई मंजिल योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक युवकों में उत्पादक रोजगार को प्रोत्सहित करना है जिन्होंने ग्रेड 5–8 के बाद स्कूल छोड़ दिया है। यह परियोजना मुख्य रूप में कार्यक्रम क्रियान्वयन एजेंसियों को किराये पर लेने में मदद करेगी। पीआईए 9 से 12 महीने तक गैर–आवासीय शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेंगे जिसमें से कम से कम तीन महीने राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचे (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण को समर्पित किए जाएंगे। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए मुख्य उपकरण अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और पीआईए के बीच परिणामोंन्मुखी कार्य निष्पादन समझौते होंगे जो (i) मुक्त स्कूल व्यवस्था में प्रवेश लेने के लिए और प्रशिक्षण एवं आकलन करने के लिए लागू दिशा–निर्देशों के अनुसार सहायता करेंगे; (ii) विद्यार्थियों को ओपन स्कूलिंग प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया अतिरिक्त शिक्षा सहायता/ब्रिज़ कार्यक्रम प्रदान करेंगे; (iii) गैर–संज्ञानात्मक कौशल सहित उच्च गुणवत्ता का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेंगे जिससे उत्पादक रोजगार मिलेगा; और (iv) प्लेसमैंट के बाद सहायता प्रदान करेंगे ताकि उनके लिए निरंतर रोजगार सुनिश्चित किया जा सके जो श्रम बाजार में प्रवेश करना चाहते हैं।

2.8 **कार्य–निष्पादन समझौतों में कार्य–**निष्पादन मानदण्डों का एक सेट शामिल होगा जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा पीआईए को वित्तीय संवितरण का प्राथमिक आधार होगा। कार्य निष्पादन समझौतों का उद्देश्य वास्तविक लक्ष्यों सहित सहमति प्राप्त लक्ष्यों को पूरा करने के साथ–साथ शिक्षा और श्रम बाजार परिणामों को इन प्रोत्साहन प्रदान करना होगा। कार्य निष्पादन समझौते भारत में शिक्षा और प्रशिक्षण क्षेत्र में अन्य कार्यक्रमों और अन्य संगत देशों में गहन अनुभव और ली गई सीख पर बनाए जाएंगे जिससे कि विशिष्ट समूहों और श्रम बाजारों की जरूरतों को कारगर ढंग से पूरा करने के लिए अनिवार्य शिक्षा और कौशल विकास के प्रति टेलर्ड दृष्टिकोणों को सुविधाजनक बनाया जा सकें।

2.9 **घटक 2: नई मंज़िल योजना के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सहायता (यूएसडी 5 मिलियन):** इस संघटक का उद्देश्य कार्यक्रम क्रियान्वयन, योजना और नीति विकास के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की क्षमता को सुदृढ़ करना है। सहायता प्रदान किए जाने वाले क्षेत्रों में शामिल है (i) नीति विकास; (ii) किसी परियोजना प्रबंध यूनिट के माध्यम से कार्यक्रम कार्यान्वयन सहायता; (iii) शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के वितरण के लिए श्रेष्ठ प्रथाओं का प्रलेखन और प्रचार करना; (iv) बालिकाओं के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार परिणामों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए नवीन मध्यस्थों का पथ प्रदर्शन करना; और (v) प्रभाव मूल्यांकनों, ट्रेसर अध्ययनों, गुणवत्ता परख आकलनों और लक्षित समूहों और पात्रता मानदंड से संबंधित उन्नत योजना डिज़ाइन आसान बनाने के लिए तीसरे पक्ष के वैधीकरण अध्ययनों सहित मॉनीटरिंग और मूल्यांकन क्रियाकलाप।

3. सामाजिक आकलन

3.1 **विभिन्न समूहों से जनता का जनांकिकीय वितरणः** भारत सरकार छह समुदायों अर्थात् मुस्लिमों, ईसाइयों, सिक्खों, जैनों और पारसियों को अल्पसंख्यकों में वर्गीकृत करती है। अल्पसंख्यक एक साथ मिलकर भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 18% अथवा 225 मिलियन बैठते हैं। अल्पसंख्यक के सबसे बड़े वर्ग मुस्लिमों की आबादी 13.8% है, इसके बाद इसाई 2.1%, सिक्ख 1.7%, बौद्ध 0.6% और जैन 0.004% हैं। अल्पसंख्यकों के विकास संकेतक राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम है। सभी अल्पसंख्यकों में मुस्लिम 75% से अधिक बैठते हैं, जबकि अन्य अल्पसंख्यकों की तुलना में इनकी कम बाजार भागीदारी, कमाई और शिक्षा प्राप्ति है।

3.2 **जनसंख्या वृद्धि रुख :** राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण से भी यही रुख पता चलता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 68वें दौर के अनुसार मुस्लिम 13.83%, हिन्दू 81.37%, ईसाइ 2.06%, सिक्ख 1.68%, जैन .26% और बौद्ध .59% हैं। हमने राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के तीन दौरों (61वां, 66वां और 68वां दौर) में पाया है कि समग्र आबादी में मुस्लिमों के प्रतिशत में वृद्धि है।

तालिका 1 : भारत में सम्पूर्ण आबादी का धार्मिक वितरण

धर्म	एनएसएस 68वां दौर	एनएसएस 66वां दौर	एनएसएस 61वां दौर
हिन्दू	995,118,509	969,792,231	901,662,127
मुस्लिम	169,143,421	148,787,336	140,402,121
ईसाई	25,232,386	25,282,278	24,106,093
सिक्ख	20,518,290	19,641,306	20,778,052
जैन	3,187,201	2,761,740	3,421,323
बौद्ध	7,187,533	7,803,691	7,321,909
पारसी	47,435	175,319	63,487
अन्य	2,533,517	4,125,682	3,938,358
कुल	1,222,968,292	1,178,369,582	1,101,693,471

स्रोत : एनएसएस 61वां, 66वां और 68वां दौर

तालिका 2 : प्रतिशत रूप में भारत में आबादी का धार्मिक वितरण

धर्म	एनएसएस 68वां दौर	एनएसएस 66वां दौर	एनएसएस 61वां दौर
हिन्दू	81.37	82.3	81.84
मुस्लिम	13.83	12.63	12.74
ईसाई	2.06	2.15	2.19
सिक्ख	1.68	1.67	1.89
जैन	0.26	0.23	0.31
बौद्ध	0.59	0.66	0.66
पारसी	0	0.01	0.01
अन्य	0.21	0.35	0.36
कुल	100	100	100

स्रोत : एनएसएस 61वां, 66वां और 68वां दौर

तालिका 3 : आयु श्रेणियों के साथ आबादी का सम्पूर्ण वितरण (68वां दौर)

आयु वर्ग	क. हिन्दू	ख. मुस्लिम	ग. ईसाई	घ. सिक्ख	ड. जैन	च. बौद्ध	छ. पारसी	ज. अन्य	कुल
0-14	290845870	59735027	6606980	4954448	626007	1761037	10720	832899	365372988
15-19	97665301	19043247	2274304	2114320	231774	818413	0	325746	122473106
20-29	167347910	28411356	4080479	3877468	612365	1289931	12998	299446	205931953
30-39	155688480	23632731	3758734	3160746	532669	1177136	7328	389784	188347609
40-49	121688806	17836322	3606378	2412990	453313	922116	3240	373679	147296844
50-59	78082554	10417252	2325917	1674611	335277	597276	6049	166771	93605706
से ऊपर	83799588	10067486	2579596	2323706	395795	621625	7099	145192	99940087
कुल	995118509	169143421	25232386	20518290	3187201	7187533	47435	2533517	1222968292

स्रोत : एनएसएस 68वां दौर

तालिका 4 : आयु श्रेणियों के साथ आबादी का सम्पूर्ण वितरण (68वां दौर)

आयु वर्ग	क. हिन्दू	ख. मुस्लिम	ग. ईसाई	घ. सिक्ख	ड. जैन	च. बौद्ध	छ. पारसी	ज. अन्य	कुल
0-14	29.2	35.3	26.2	24.1	19.6	24.5	22.6	32.9	29.9
15-19	9.8	11.3	9.0	10.3	7.3	11.4	0.0	12.9	10.0
20-29	16.8	16.8	16.2	18.9	19.2	17.9	27.4	11.8	16.8
30-39	15.6	14.0	14.9	15.4	16.7	16.4	15.4	15.4	15.4
40-49	12.2	10.5	14.3	11.8	14.2	12.8	6.8	14.7	12.0
50-59	7.8	6.2	9.2	8.2	10.5	8.3	12.8	6.6	7.7
से ऊपर	8.4	6.0	10.2	11.3	12.4	8.6	15.0	5.7	8.2
कुल	100	100	100	100	100	100	100	100	100

स्रोत : एनएसएस 68वां दौर

3.3 उपर्युक्त तालिकाओं से विभिन्न धार्मिक श्रेणियों के बीच आयु समूह आधारित वितरण में यह देखा जा सकता है कि 0–14 वर्ष आयु समूह में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व सार्वधिक है। यह आंकड़ों के तीनों दौर से प्रलक्षित होता है कि जहां 0–14 वर्ष की आयु में मुस्लिम आबादी का प्रतिनिधित्व कुल मुस्लिम आबादी का 35% से अधिक है। मुस्लिमों के बीच 0–14 वर्ष की आयु के बच्चों पर ध्यान दिया जाना अपेक्षित है।

3.4 **शिक्षा :** नीचे प्रस्तुत तालिका विभिन्न धार्मिक श्रेणी की शैक्षिक अर्हता के वितरण को दर्शती है। बाएं में पंक्ति विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच सर्वोच्च अकेडमिक योग्यता को दर्शति है। प्रत्येक प्रकोष्ठशिक्षा के विभिन्न धार्मिक श्रेणियों में प्रतिशतता का प्रतिनिधित्व करता है। स्नातक और उससे ऊपर के स्तर में शिक्षित प्रतिशतता पारसियों की है। इसके बाद जैन आते हैं। वास्तव में, जैन और पारसी शेष श्रेणियों से शिक्षा के मामले में सबसे आगे हैं। सिक्ख और बौद्ध भी शिक्षा के विभिन्न स्तरों में नामांकन और उच्च शिक्षा तक पहुंच के रूप में हिन्दुओं से बेहतर कर रहे हैं। इन दौरों के दौरान, निरक्षरता और प्राथमिक शिक्षा श्रेणी में जन शाक्ति में क्रमिक गिरावट है और स्नातक तथा स्नातकोत्तर में क्रमिक बढ़ोत्तरी है। यह सभी सामाजिक–धार्मिक समूहों के लिए सच है। अन्य की तुलना में मुस्लिमों के बीच शिक्षा के उच्चतर स्तर पर पढ़ाई छोड़ने की दर अधिक है।

तालिका 5 : 68वां दौर (15–59 वर्ष की आयु में शिक्षा प्राप्ति)

	हिन्दू	मुस्लिम	ईसाई	सिक्ख	जैन	बौद्ध	पारसी	अन्य	कुल
निरक्षर	29.4	32.3	15.2	24.9	1.3	20.4	20.9	33.1	29.3
प्राथमिक से नीचे	10.8	13.8	9.4	6.2	5.4	13.6	0.0	10.7	11.1
प्राथमिक	12.8	17.1	14.5	15.2	1.7	15.6	0.0	13.5	13.4
मिडिल	16.8	16.5	19.3	12.4	12.2	17.6	0.0	17.8	16.7
माध्यमिक	12.2	9.9	14.4	19.2	17.8	14.6	0.0	13.1	12.1
उच्चतर माध्यमिक	6.8	4.7	7.2	11.6	13.8	9.4	18.7	7.0	6.7
डिप्लोमा / सर्टिफिकेट	1.5	0.9	4.7	1.3	3.1	0.9	0.0	0.1	1.5
स्नातक	7.0	3.7	11.3	6.3	31.0	6.1	57.5	3.6	6.8
स्नातकोत्तर+	2.7	1.1	3.9	3.0	13.8	1.7	2.9	1.0	2.6
कुल	100	100	100	100	100	100	100	100	100

स्रोत : एनएसएस 68वां दौर

3.5 **श्रम बाजार भागीदारी :** श्रम बाजार परिणाम की व्याख्या रोजगार और मजदूरी के रूप में की जा सकती है। सभी तीन दौरों में देखा जा सकता है कि कृषि से संबंधित स्व–रोजगार में भागीदारी का अनुपात हिन्दू और सिक्खों से अधिक है। मुस्लिमों, बौद्धों, जैनों और पारसियों की भागीदारी का अनुपात कृषि स्व–रोजगार में कम है, सम्भवतः ऐसा भूमि जोत स्वरूप की वजह से है (लंझाव एण्ड शरीफ, 2004)। गैर–फर्म स्व–रोजगार जैनों, पारसियों और मुस्लिमों में उच्चतर है। बौद्धों में नैमित्तिक रोजगार अधिक है। वेतन वाले रोजगार में हिन्दुओं की तुलना में ईसाई, बौद्ध, सिक्ख तथा जैनों में उच्चतर है। दूसरी ओर वेतन वाले रोजगार में मुस्लिमों की भागीदारी हिन्दुओं की तुलना में कम है।

तालिका 6 : 68वां दौर (सामाजिक–धार्मिक समूहों की श्रम बाजार भागीदारी)

	कृषि क्षेत्र में स्व–रोजगार	गैर–फर्म स्व–रोजगार	वेतन	नैमित्तिक	बेरोजगार	कुल
हिन्दू	30.6	18.1	18.6	30.2	2.5	100.0
मुस्लिम	16.9	34.2	16.9	28.5	3.6	100.0
ईसाई	26.7	17.1	28.8	20.9	6.5	100.0
सिक्ख	30.1	20.7	23.0	23.7	2.5	100.0
जैन	11.1	59.0	27.1	2.2	0.7	100.0
बौद्ध	18.0	10.2	27.4	41.8	2.7	100.0
पारसी	0.0	2.4	80.9	0.0	16.7	100.0
अन्य	71.5	9.0	9.0	7.5	3.0	100.0
कुल	28.8	20.1	18.7	29.6	2.7	100.0

स्रोत : एनएसएस 68वां दौर

3.6 **राज्यों में समुदायों का वितरण :** नीचे दिये गए आंकाड़ों से सम्पूर्ण राज्यों में धार्मिक समूहों के वितरण का पता चलता है। प्रतिशत मूल्य दिए गए राज्यों में संबंधित धर्मों का हिस्सा है। उदाहरण के लिए आंकड़ा 1 दर्शता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 69.6 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में 87.98% हिन्दू हैं, इसी तरह से आगे समझा जाए। इसी प्रकार, आंकड़ा 2 दर्शाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 10.02 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में 9.81 प्रतिशत मुस्लिम हैं, इसी तरह से आगे समझा जाए। आंकड़ा 3, आंकड़ा 4, आंकड़ा 5, आंकड़ा 6, आंकड़ा 7 और आंकड़ा 8 ईसाइयों, सिक्खों, जैनों, बौद्धों, पारसियों और अन्य श्रेणी की आबादी को दर्शाता है। नीचे के आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि जम्मू व कश्मीर, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीव, असम और केरल में मुस्लिमों का प्रभुत्व है। ईसाई अधिकांशतः नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और गोवा में पाए जाते हैं। सिक्ख पंजाब में बहुसंख्यक हैं। बौद्ध व्यापक रूप में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। जैन अधिकांशतः दिल्ली में हैं और कुछ हद तक महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्यप्रदेश में हैं। अन्य श्रेणी के लोग अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मणिपुर और मेघालय में मौजूद हैं। पारसी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं।

तालिका 9 : धार्मिक समुदायों का भौगोलिक वितरण 68वां दौर का प्रतिशत

राज्य	हिन्दू	मुस्लिम	ईसाई	सिक्ख	जैन	बौद्ध	पारसी	अन्य	कुल
अंडमान एवं निकोबार	69.63	10.02	19.48	0.75	0.00	0.00	0.00	0.12	100.00
आंध्र प्रदेश	87.98	9.81	1.90	0.02	0.01	0.26	0.00	0.02	100.00
अरूणाचल प्रदेश	22.20	1.47	23.67	0.04	0.15	16.18	0.01	36.28	100.00
असम	65.51	31.39	2.71	0.04	0.05	0.04	0.00	0.26	100.00
बिहार	85.07	14.41	0.44	0.04	0.01	0.01	0.00	0.02	100.00
चंडीगढ़	92.11	3.63	0.15	3.74	0.00	0.00	0.00	0.36	100.00
छत्तीसगढ़	95.23	2.25	1.72	0.40	0.06	0.34	0.00	0.00	100.00
दादरा एवं नगर हवेली	96.22	2.54	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
दमन एवं दीव	93.39	6.04	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
दिल्ली	85.77	8.86	0.42	2.73	2.11	0.00	0.00	0.11	100.00
गोवा	67.69	6.17	26.04	0.08	0.00	0.00	0.00	0.02	100.00
गुजरात	89.87	9.34	0.34	0.16	0.26	0.00	0.03	0.00	100.00
हरियाणा	87.94	5.91	0.17	5.75	0.12	0.12	0.00	0.00	100.00
हिमाचल प्रदेश	96.29	1.56	0.02	1.61	0.00	0.52	0.00	0.00	100.00
जम्मू एवं कश्मीर	35.56	61.54	0.12	2.13	0.01	0.59	0.00	0.06	100.00
झारखंड	73.54	16.85	4.47	0.28	0.00	0.00	0.00	4.86	100.00
कर्नाटक	84.64	13.25	1.51	0.00	0.57	0.00	0.00	0.02	100.00
केरल	56.29	28.64	15.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
लक्षद्वीप	1.20	98.75	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
मध्य प्रदेश	92.27	6.18	0.50	0.29	0.65	0.07	0.00	0.04	100.00
महाराष्ट्र	82.32	10.84	0.84	0.21	0.65	5.08	0.02	0.04	100.00
मणिपुर	49.57	10.19	33.39	0.00	0.01	0.19	0.00	6.66	100.00
मेघालय	8.63	2.88	84.28	0.02	0.00	1.11	0.00	3.09	100.00
मिजोरम	1.54	0.52	90.24	0.00	0.00	7.66	0.00	0.04	100.00
नागालैंड	2.87	0.73	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	100.00
ओडिशा	97.06	1.42	1.43	0.00	0.01	0.00	0.00	0.08	100.00
पुदुचेरी	89.15	6.40	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
पंजाब	39.82	2.74	0.93	56.33	0.13	0.00	0.00	0.06	100.00
राजस्थान	88.02	10.16	0.32	0.79	0.71	0.00	0.00	0.00	100.00
सिक्किम	61.13	1.97	5.21	0.07	0.00	31.63	0.00	0.00	100.00
तमिलनाडु	87.88	5.78	5.95	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	100.00
त्रिपुरा	82.34	9.99	6.24	0.00	0.00	1.33	0.00	0.10	100.00
उत्तर प्रदेश	80.40	19.24	0.08	0.20	0.07	0.01	0.00	0.00	100.00
उत्तराखंड	81.75	16.36	0.12	1.67	0.10	0.00	0.00	0.00	100.00
पश्चिम बंगाल	71.87	27.09	0.54	0.08	0.10	0.21	0.00	0.12	100.00
कुल	81.37	13.83	2.06	1.68	0.26	0.59	0.00	0.21	100.00

स्रोत : एनएसएस 68वां दौर

आंकड़ा 1 : राज्यों में हिन्दू आबादी का वितरण (एनएसएस 68वां दौर)

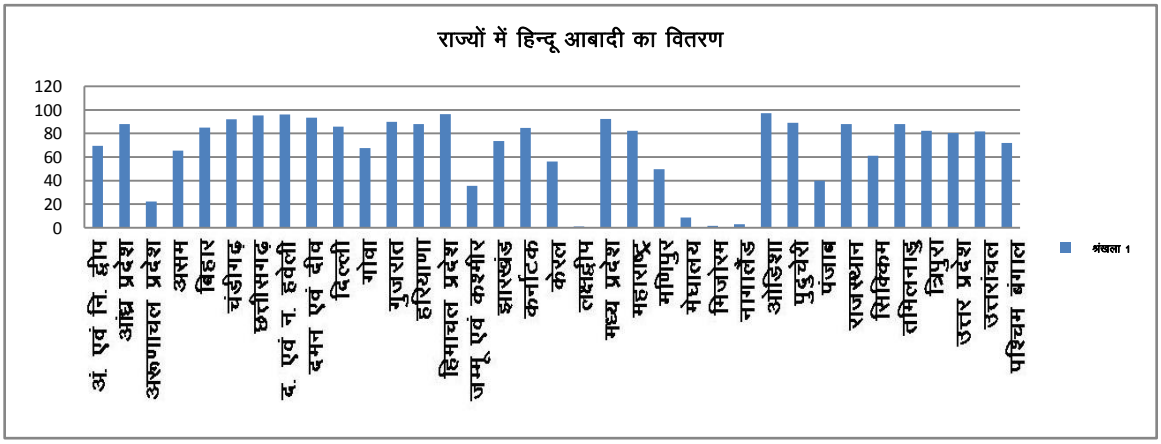

स्रोत : एनएसएस 68वां दौर

आंकड़ा 2 : राज्यों में मुस्लिम आबादी का वितरण (एनएसएस 68वां दौर)

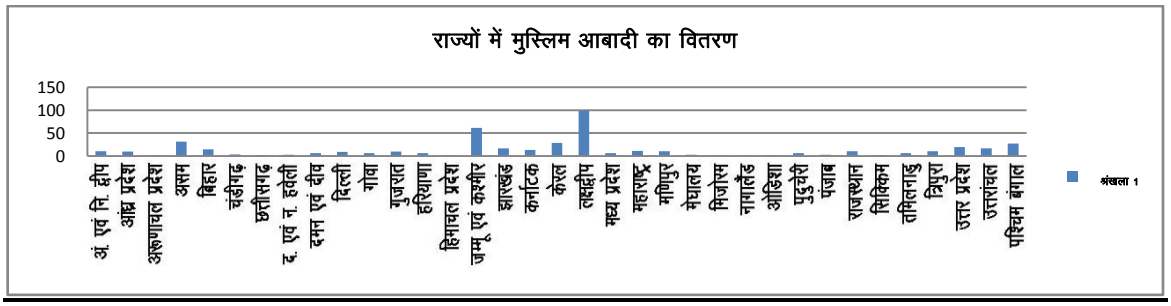

स्रोत : एनएसएस 68वां दौर

आंकड़ा 3 : राज्यों में ईसाई आबादी का वितरण (एनएसएस 68वां दौर)

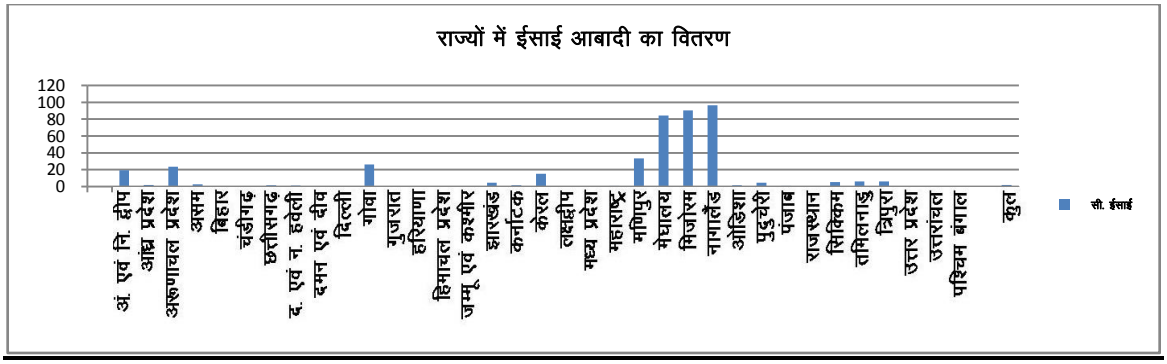

स्रोत : एनएसएस 68वां दौर

आंकड़ा 4 : राज्यों में सिक्ख आबादी का वितरण (एनएसएस 68वां दौर)

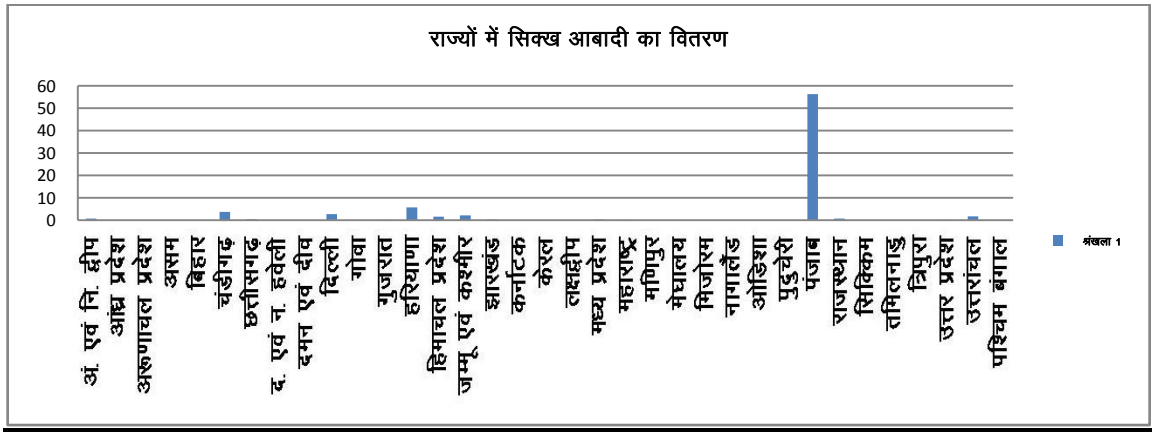

स्रोत : एनएसएस 68वां दौर

आंकड़ा 5 : राज्यों में जैन आबादी का वितरण (एनएसएस 68वां दौर)

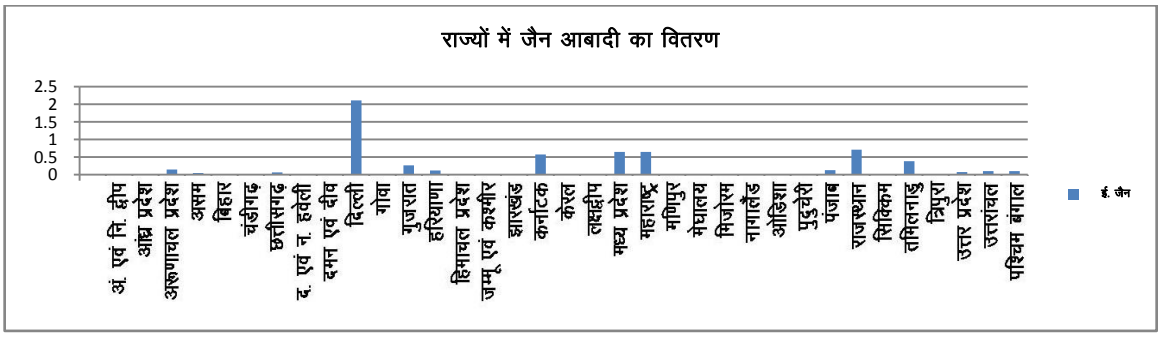

स्रोत : एनएसएस 68वां दौर

आंकड़ा 6 : राज्यों में बौद्ध आबादी का वितरण (एनएसएस 68वां दौर)

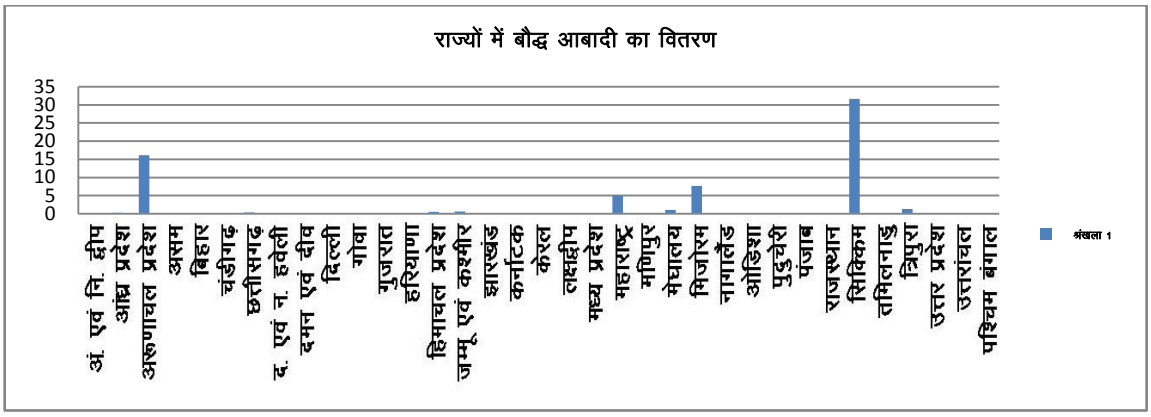

स्रोत : एनएसएस 68वां दौर

आंकड़ा 7 : राज्यों में पारसी आबादी का वितरण (एनएसएस 68वां दौर)

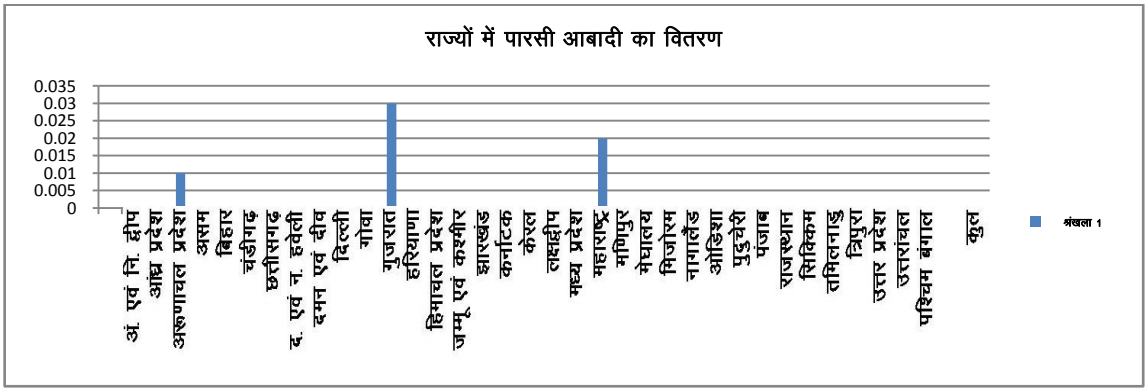

स्रोत : एनएसएस 68वां दौर

आंकड़ा 8 : राज्यों में अन्य आबादी का वितरण (एनएसएस 68वां दौर)

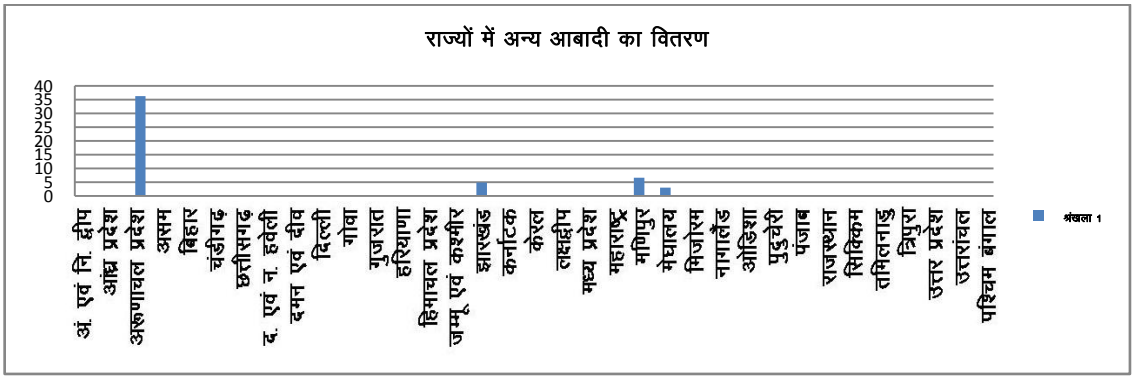

स्रोत : एनएसएस 68वां दौर

3.7 न्यायमूर्ति सच्चर समिति रिपोर्ट (2006) और रंगनाथ मिश्रा समिति रिपोर्ट (2009) सहित देश में अल्पसंख्यकों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति के संबंध में और प्रकाश डालने के अनेक अध्ययन कराए गए हैं। परिणाम सारांश रूप में नीचे प्रस्तुत हैं।

3.8 राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग (अल्पसंख्यकों के लिए न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा आयोग) :

सरकार ने निम्नलिखित विचारार्थ विषयों के साथ 29 अक्तूबर, 2004 को राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग (एनसीआरएलएम) की स्थापना की थी :

(क) धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक के बीच सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए मानदंड सुझाना;

(ख) शिक्षा और सरकारी रोजगार में आरक्षण सहित धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक के बीच सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए उपायों की सिफारिश करना;

(ग) उनकी सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए यथा अपेक्षित आवश्यक संवैधानिक, विधिक और प्रशासनिक रूपात्मकताओं का सुझाव देना;

(घ) अनुसूचित जाति की सूची में समावेशन के रूपात्मकताओं में भी 50 प्रतिशत आरक्षण के संदर्भ में संविधान (अनुसचित जाति) आदेश, 1950 के पैरा 3 के संबंध में उच्चतम न्यायालय और कुछ उच्च न्यायालयों में दायर की गई रिट याचिका 180/04 और 94/05 में उठाए गए मुद्दों पर अपनी सिफारिशें देना।

3.9 आयोग ने मई, 2007 में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी और यह रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में 18 दिसम्बर, 2009 में रख दी गई थी।

3.10 आयोग ने अल्पसंख्यकों आदि के लिए आर्थिक उपायों, शैक्षिक उपायों, आरक्षण के साथ–साथ अल्पसंख्यकों के लिए अनेक सिफारिश की थी।

3.11 **न्यायमूर्ति सच्चर समिति रिपोर्ट :** सच्चर समिति ने अपरी रिपोर्ट 17 नवम्बर, 2006 को प्रस्तुत कर दी थी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने रिपोर्ट में समाविष्ट सिफारिशों/सुझावों की जांच और टिप्पणियों के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को परिचालित किया था। बाद में, प्रत्येक सिफारिशों पर अंतर–मंत्रालयी बैठकों के विभिन्न दौरों में चर्चा की गई थी। विस्तृत विचार–विर्मशों के बाद, समिति द्वारा की गई 76 सिफारिशों में से सरकार ने 72 सिफारिशें स्वीकार कर ली थीं। शेष 4 सिफारिशों में से 3 सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई थी और 1(एक) सिफारिश आस्थगित रखी गई थी।

3.12 स्वीकृत 72 सिफारिशों को प्रशासनिक सुविधा और कारगर क्रियान्वयन के लिए, सरकार ने निम्नलिखित अभिकेन्द्रित क्षेत्रों में समान स्वरूप की सिफारिशों को एक साथ मिलाकर 43 निर्णय लिए थे।

(क) शिक्षा (15 निर्णय)
(ख) अल्पसंख्यकों का कौशल विकास (02 निर्णय)
(ग) ऋण की सुलभता (6 निर्णय)
(घ) विशेष विकास पहलें (2 निर्णय जैसे कि बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम और जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन)
(ड़) सकारात्मक कार्रवाई के लिए उपाय (4 निर्णय जैसे कि राष्ट्रीय डेटा बैंक और आकलन एवं निगरानी प्राधिकरण की स्थापना आदि)
(च) वक़्फ संपत्तियों का संरक्षण और प्रबंधन (4 निर्णय), और
(छ) विविध (10 निर्णय जैसे सांप्रदायिक हिंसा निवारण, परिसीमन अधिनियम और सुग्राहीकरण, मल्टी–मीडिया अभियान आदि)

3.13 इन निर्णयों के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और संबंधित मंत्रालयों/विभागों को दिया गया है। सरकार द्वारा सभी 43 निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई है। अधिकांश निर्णय पहले ही क्रियान्वयति किए जा चुके हैं। शेष निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई सत्त स्वरूप की है और इनके प्रगति को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा नियमित आधार पर मॉनिटर किया जाता है। प्रत्येक सिफारिशों का मूल पाठ, प्रत्येक स्वीकृत सिफारिश के ब्यौरे, लिए गए निर्णयों के ब्यौरों और उनकी अद्यतन स्थिति इस मंत्रालय की वेबसाइड www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध हैं।

3.14 भारत के पांच राज्यों में अल्पावधि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक **विश्व बैंक अध्ययन** कौशल और उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से करवाया गया था। रिपोर्ट में भारत सरकार के पांच महत्वपूर्ण कौशल विकास कार्यक्रमों के रोजगार परिणामों का गहन विश्लेषण, उनके लाभार्थियों का अर्जन प्रीमियम, कार्यक्रमों का लागत–लाभ विश्लेषण, प्रदानगी को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक पहलुओं और उनके निष्पादन को सुधारने की सिफारिशे दी गई हैं।

3.15 **राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (68वां दौर)** के अनुसार अल्पसंख्यक समूहों का राष्ट्रीय औसत की तुलना में निम्न श्रम बाजार निष्कर्ष दिखता है। सभी समूहों के बीच मुस्लिमों का निम्न श्रम बाजार निष्कर्ष है। वे 25–30% कम मजदूरी अर्जित करते हैं, औपचारिक क्षेत्र में संभवतः 50% कम लगे हैं और बेरोजगारी[4] की उच्चतर दर। मुस्लिमों के सवेतन रोजगार की प्रतिशतता निम्नतम है (आंकड़ा 1)। अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिए संकेतक सापेक्षतया बेहतर है, किंतु महत्वपूर्ण क्षेत्रीय असमानताएं हैं। राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग (रंगनाथ मिश्रा आयोग) ने दिसम्बर, 2009 में भारत के संसद के पटल पर रिपोर्ट रखी थी जिसमें ऐसी असमानताओं पर प्रकाश डाला गया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि बौद्धों के बीच दो अलग–अलग वर्ग हैं–जो लेह से अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी राज्यों में रह रहे हैं और जो देश के शेष भाग में रहते हैं, इनमें व्यापक तौर पर स्वतंत्रता के पश्चात धर्म परिवर्तन करने वाले शामिल हैं। बाद वाले बौद्ध वर्ग को निम्न गुणवत्ता वाली शिक्षा की बड़ी समस्या पेश आती है, 17–59 वर्ष की आयु के 42% नैमित्तिक श्रम लगे हैं, भूमिहीन हैं और पूंजी की पहुंच नहीं है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति ने फरवरी, 2015 में नोट किया था कि सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में अल्पसंख्यकों के प्रतिशत में समय के साथ गिरावट आई है।

आंकड़ा 1 : भारत में धर्म एवं श्रम बाजार भागीदारी (आयु 17–35 वर्ष)

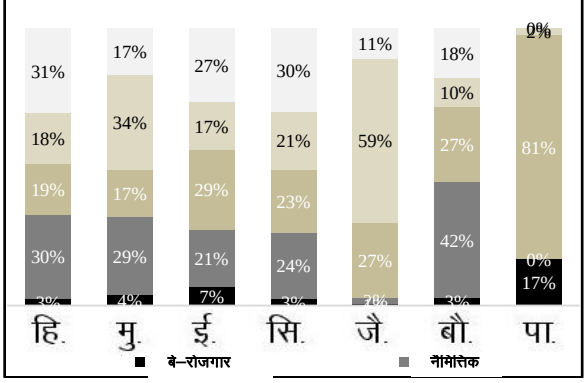

आंकड़ा 2 : साप्ताहिक औसतन नाममात्र वेतन रुपए में (आयु 17–59 वर्ष)

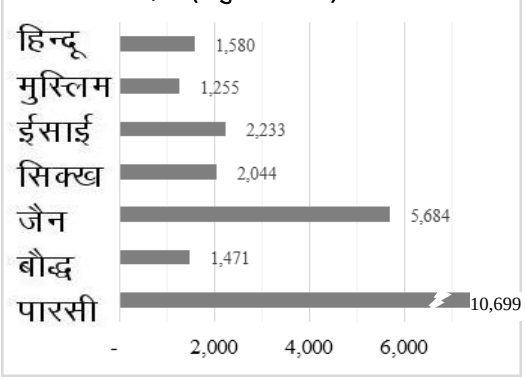

3.16 निम्न शिक्षा निष्कर्ष संभवतः कुछ अल्पसंख्यक समुदायों के कमजोर श्रम बाजार निष्कर्ष हो जाता है। अल्पसंख्यक समूहों का शिक्षा निष्कर्ष भारत सरकार द्वारा किए गए ठोस प्रयासों की वजह से लगभग राष्ट्रीय औसत के समतुल्य है। तथापि, अल्पसंख्यक समूहों के बीच माध्यमिक स्तर संक्रमण दरें विशेषकर मुस्लिमों और बौद्धों के लिए खराब हैं, जो उन्हें श्रम बाजार[5] में अलाभकर स्थिति में रखती है। केवल 50% मुस्लिम जो प्राथमिक शिक्षा पूरी करते हैं, उनकी माध्यमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना रहती है, जबकि यह राष्ट्रीय स्तर पर 62% है।

[4] राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 68वां दौर (जुलाई, 2011–जून, 2012) सांख्यकीय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय

[5] अल्पसंख्यकों की शिक्षाओं के लिए राष्ट्रीय निगरानी समिति की स्थायी समिति की रिपोर्ट पर प्रस्तुतिकरण (एनएमसीएमई) (मई 2013)

परिणामस्वरूप, भारत में 15–59 वर्ष आयु के केवल 20% मुस्लिमों में माध्यमिक पूरी की है, जो राष्ट्रीय औसत की तुलना में 10% अंक कम है (आंकड़ा 3)। मुस्लिमों के बीच, 5–14 वर्ष की आयु लगभग 30% और 15–24 वर्ष आयु के 26% के लिए स्कूल से बाहर रहने के लिए वित्तीय बाधाएं बताई गई हैं। शिक्षा में अभिभावकों की रुचि न होना अल्पसंख्यक छात्रों की खराब शिक्षा निष्कर्ष के लिए अन्य प्रमुख कारणों के रूप में पाया गया था।

3.17 अल्पसंख्यकों, जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा और प्रशिक्षण के अवसरों को गवां दिया है, मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम हैं जो विद्यार्थियों को माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र और कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए दूसरा मौका प्रदान करते हैं। कौशल विकास कार्यक्रम में भागीदारी रोजगार दरों को बढ़ा सकती है और लाभार्थियों को सकारात्मक अर्जन प्रदान कर सकती है। विश्व बैंक अध्ययन के अनुसार, ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों की रोजगार दरें समग्र रूप में 7 प्रतिशत बढ़ीं, जिसमें पुरुषों की तुलना में महिलाओं का अधिक प्रभाव (12% की तुलना में 4.5%) दिखता है। इसके अलावा, ऐसे लाभार्थी जो औसत रूप में कमाई कर रहे हैं वह गैर–लाभार्थियों की तुलना में लगभग 21% हैं (सामान आयु, शिक्षा, वैवाहिक स्थिति, निवास राज्य के साथ) और उच्चतर भी होते हैं जबकि की जाने वाली नौकरी के लिए प्रशिक्षण सामग्री प्रत्यक्ष रूप से संगत होती है। तथापि, कौशल विकास कार्यक्रमों का शैक्षिणक प्राप्ति सहित प्रशिक्षणार्थियों की व्यक्तिगत विशिष्टताओं पर आधारित श्रम बाजार निष्कर्षों पर अलग–अलग प्रभाव पड़ता है। लाभार्थियों की कमाई शिक्षा के स्तर के साथ बढ़ती है; जो प्राथमिक शिक्षा अथवा उससे कम शिक्षा वाले होते हैं वे माध्यमिक शिक्षा वालों की तुलना में 12% कम मजदूरी प्राप्त करते हैं। यह ऊपर चर्चा किए गए एनएसएस के परिणामों के अनुरूप हैं।

आंकड़ा 3 : भारत में धर्म एवं शिक्षा (आयु 15–59 वर्ष)

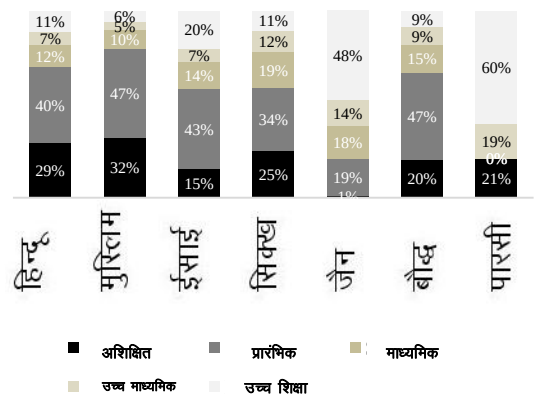

3.18 भारत में कौशल विकास कार्यक्रम और द्वितीय परिवर्तन शिक्षा कार्यक्रमों तक पहुंच में पिछले दशक के दौरान उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। रोजगार[6] प्राप्त करने के लिए औपचारिक क्षेत्र में नियोजित क्षेत्रों में त्वरित अधिगम कार्यक्रम और बड़ी उम्र के युवाओं की जरूरतों के लिए निर्धारित किए गए लोचशील घंटे विशेष उपयोगी हो सकते हैं। मुक्त विद्यालय परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिए विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता प्राप्त करने वाले कोचिंग केन्द्र में मुक्त विद्यालय परीक्षाओं को देने वाले विद्यार्थियों की सफलता दरों में सुधार हुआ। तथापि, पाठ्क्रमों की लागत और भागौलिक अवस्थिति अल्प सुविधा प्राप्त आबादी के लिए निवारक हो सकती है। प्रशिक्षण पक्ष की ओर, केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्यों सरकार द्वारा नेतृत्व किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा बड़ी संख्या में निजी क्षेत्रों के प्रशिक्षण प्रदाताओं को भी सृजित किया गया है, यह सार्वजनिक–निजी भागीदारी वित्तपोषण द्वारा है। तथापि, इनमें से सभी हस्तक्षेप समान रूप से कारगर नहीं हैं। ऐतिहासिक रूप में, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम अलग–अलग लाभार्थी स्तरों पर इनपुटों पर फोकस करते हुए आपूर्ति–प्रेरित वित्तपोषण पर आधारित है।

[6] ए.वी एडम्स, दी रोल ऑफ यूथ स्किल्स डवलपमेंट इन दी ट्रांसिशन्स टू वर्क : ए गोल्बल रिव्यू, दी वर्ल्ड बैंक (फरवरी 2007)

ऐसे अभिकल्पन से प्रदाताओं की ओर उत्तरदायित्व की कमी जैसे प्लेस किए गए प्रशिक्षणार्थियों की संख्या के रूप में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के परिणामों को रोके रखने और पूरा करने में सुधार तथा लक्षित आबादी समूहों को प्रदान की जानी वाली सेवाओं और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए उत्तरदायित्व में कमी को बढ़ावा मिलता है। इसलिए, श्रम बाजार उत्तरदायित्व कार्यक्रमों को गहन करने के लिए, कौशल प्रावधान के लिए वित्तपोषण को आपूर्ति–प्रेरित वित्तपोषण से बदलकर परिणाम–आधारित वित्तपोषण[7] किए जाने की जरूरत है। शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रमों के वित्तपोषण के संयोजन से निजी क्षेत्र की क्रियान्वयन एजेंसियों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अभिकल्पित और क्रियान्वित करने में प्रोत्साहन मिल सकता है जिससे समुदायों की आवश्यकताएं वास्ताविक रूप में प्रबंधित हो सकेंगी। अब सेवा प्रदाताओं के निष्पादन आधारित वित्तपोषण के साथ पर्याप्त अनुभव है और इनपुट आधारित वित्तपोषण की तुलना में अधिक दक्ष तथा कारगर सेवा प्रदानगी रुपाकत्मकता हैं।

[7] ए.वी एडम्स, एस.जे. डिस्ल्वा, एंड एस. राजमारा; इंप्रूविंग स्क्लिस डवलपमेंट इन दी इंफोर्मल सेक्टर; दी वर्ल्ड बैंक (2013)

4. विधिक एवं संस्थागत विन्यास

4.1 **अल्पसंख्यकों एवं देशी लोगों को प्रदत्त संवैधानिक अधिकार एवं रक्षोपायः** यद्यपि भारत का संविधान 'अल्पसंख्यक' शब्द को परिभाषित नहीं करता है और यह केवल 'अल्पसंख्यकों' का हवाला देता है और 'धर्म अथवा भाषा पर आधारित' की बात करता है, फिर भी संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 कहता है कि "अधिनियम के प्रयोजनार्थ, अल्पसंख्यक का अर्थ है केंद्र सरकार द्वारा इसी रुप में अधिसूचित कोई समुदाय" – धारा 2(7)। इस उपबंध के अधीन 23.10.1993 को कार्रवाई से क्रियान्वित करते हुए, केंद्र सरकार ने इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ मुस्लिम, इसाई, सिक्ख, बौद्ध एवं पारसी समुदायों को "अल्पसंख्यकों" के रूप में अधिसूचित किया।

4.2 भारत के संविधान का अनुच्छेद 366(25) अनुसूचित जनजातियों का उन समुदायों के रूप में उल्लेख करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार, अनुसूचित हैं। यह अनुच्छेद कहता है कि केवल वही समुदाय जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा प्रारंभिक सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से अथवा इसके पश्चात संसद के संशोधन अधिनियम के माध्यम से उसी रुप में घोषित किया गया है, उन्हें अनुसूचित जनजातियों के रुप में माना जाएगा। अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशिष्ट है और किसी एक राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय को अन्य किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में ऐसा होना जरूरी नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श के पश्चात अब तक 9 आदेशों का प्रख्यापन किया है, जिनमें राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट किया गया है।

4.3 संविधान की प्रस्तावना में राज्य को 'धर्म निरपेक्ष' घोषित किया गया है और यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष प्रासंगिकता है। उनके लिए विशेष रूप से उतनी ही संविधान द्वारा इसकी प्रस्तावना में की गई यह घोषणा भी है कि भारत के सभी नागरिकों को 'विचारों अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वंतत्रता तथा 'स्थिति अवसर की समानता' सुनिश्चित हो।

4.4 **मौलिक अधिकार (अध्याय–III, भारत का संविधान) तथा अनुच्छेद 347, 350 क तथा 350 ख आदि के अंतर्गत अधिकारः** संविधान के भाग–III, जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है, में अधिकारों को दो भागों में बाँटा गया है अर्थात् (क) वे अधिकार जो, 'सामान्य अधिकार–क्षेत्र विषय' में आते हैं तथा (ख) वे अधिकार जो 'पृथक अधिकार–क्षेत्र' में आते हैं। 'सामान्य अधिकार–क्षेत्र' में निम्नलिखित मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं को शामिल किया गया हैः

4.5 समानता एवं भेदभाव न किया जानाः

(क) राज्य किसी भी व्यक्ति को भारत की सीमा के अंदर 'कानून के समक्ष समानता' अथवा 'कानूनों के समान संरक्षण' से इनकार नहीं करेगा – [अनुच्छेद 14]

(ख) राज्य किसी भी नागरिक से केवल धर्म, जाति, वर्ग, विंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर सामान्यतः अथवा सामान्य सार्वजनिक स्थानों एवं सुविधाओं के उपयोग की सुलभता अथवा उपयोग के मामले में कोई भेद–भाव नहीं करेगा – [अनुच्छेद 15 (1) एवं (2)]

(ग) राज्य के अधीन किसी कार्यालय में रोजगार अथवा नियुक्ति से संबंधित मामलों में 'अवसर की समानता' का नागरिकों का अधिकार– तथा इस संबंध में धर्म, वर्ग, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेद–भाव का निषेध; [अनुच्छेद 16 (1) एवं (2)]

(घ) अस्पृश्यता का उन्मूलन– "अस्पृश्यता" का उन्मूलन कर दिया गया है और इसको किसी भी तरह से व्यवहार में लाने की मनाही है। "अस्पृश्यता" से उत्पन्न किसी भी प्रकार की अशक्तता के दबाव को कानून के अनुसार दंडनीय अपराध माना जाएगा; [अनुच्छेद 17]

(ङ) यदि राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु नागरिकों पर अनिवार्य सेवा आरोपित करता है, तो इस संबंध में धर्म, जाति, वर्ग, श्रेणी अथवा इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा; [अनुच्छेद 23 (2)]

4.6 धर्म की स्वतंत्रताः

(क) सभी व्यक्ति धार्मिक स्वतंत्रता के लिए समान रूप से हकदार हैं और सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता एवं अन्य मौलिक अधिकारों के अध्यधीन अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से मानने, व्यवहार में लाने एवं प्रचार करने का अधिकार होगा; [अनुच्छेद 25 (1)]

(ख) किसी विशिष्ट धर्म को प्रोत्साहति करने के लिए किसी व्यक्ति को करो की अदायगी के लिए विवश करने के विरूद्ध निषेध; [अनुच्छेद 27]

(ग) राज्य द्वारा समग्र रूप से अनुरक्षित, मान्यता–प्राप्त अथवा सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक अनुदेश अथवा धार्मिक पूजा में शामिल होने की लोगो की स्वतंत्रता; [अनुच्छेद 28]

(घ) 'प्रत्येक धार्मिक पंथ अथवा उसके किसी वर्ग को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता एवं स्वास्थ्य के अध्यधीन धार्मिक एवं धर्मार्थ प्रयोजनों हेतु संस्थानों की स्थापना एवं अनुरक्षण, 'धर्म के मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन' तथा चल एवं अचल संपत्ति का स्वामी होने अथवा प्राप्त करने और 'कानून के अनुसार' उसका प्रबंध करने का अधिकार होगा;[अनुच्छेद 26]

4.7 अल्पसंख्यक एवं जनजातीय संरक्षण अधिकारः संविधान में दिए गए वे अधिकार है जो 'पृथक अधिकार–क्षेत्र' की श्रेणी में आते हैं, निम्नलिखित हैंः

(क) अनुच्छेद 15 अथवा अनुच्छेद 29 के खंड (2) में कुछ भी राज्य को नागरिकों के सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए किन्हीं वर्गों अथवा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा; [अनुच्छेद 15 (4)]

(ख) नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग, जिन्हें राज्य के विचार में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, के पक्ष में नियुक्तियों अथवा पदों के आरक्षण हेतु कोई प्रावधान करने का राज्य का प्राधिकार; [अनुच्छेद 16 (4)]

(ग) 'नागरिकों के किसी वर्ग को अपनी 'विशिष्ट भाषा, लिपि अथवा संस्कृति' का 'संरक्षण' करने का अधिकार; [अनुच्छेद 29 (1)]

(घ) किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा अनुरक्षित एवं सहायता प्राप्त किसी शैक्षिक संस्थान में केवल 'धर्म, वर्ग, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी के आधार पर' प्रवेश से इन्कार पर प्रतिबंध; [अनुच्छेद 29 (2)]

(ङ) सभी धार्मिक एवं भाषाजात अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना एवं संचालन का अधिकार; [अनुच्छेद 30 (1)]

(च) अल्पसंख्यक–संचालित शैक्षिक संस्थानों को राज्य की ओर से सहायता प्राप्त करने के मामले में भेदभाव से स्वतंत्रता; [अनुच्छेद 30 (2)]

(छ) अनुच्छेद 350 के अधीन प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण की सुविधाओं के लिए प्रावधान यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक राज्य और उस राजय में प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी का यह प्रयास होगा कि वह भाषाजात अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण की सुविधा प्रदान करें; और राष्ट्रीय किसी राज्य को ऐसे निदेश निकल सकेगा जिन्हें वे इस सुविधाओं के प्रावधान का सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक या उचित समझें; [अनुच्छेद 350 क]

(ज) भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इस संविधान के अधीन भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए प्रदत्त रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण करना और उन मामलों पर राष्ट्रपति को ऐसे अन्तराल पर, जैसा राष्ट्रपति निदेश दें, रिपोर्ट करना विशेष अधिकारी का कर्तव्य होगा और राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करवाएगा और संबंधित राज्य सरकारों को भिवाएगा; [अनुच्छेद 350 ख]

(झ) सिख समुदाय का 'कृपाण धारण करने और साथ ले जाने' का अधिकार; [अनुच्छेद 25 के नीचे स्पष्टीकरण 1]

(ञ) महाराष्ट्र और गुजरात, नगालैंड, असम और मणिपुर के संबंध में विशेष उपायों और उपबंधों की व्यवस्था है [क्रमशः अनुच्छेद 371, 371 क, 371 ख और 771 ग]

4.8 **राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (अध्याय IV, भारत का संविधान):** संविधान ने भाग III में मौलिक अधिकारों के लिए उपबंध किए हैं जिनका राज्य को अनुपालन करना होता है और ये न्यायिक रूप से भी प्रवर्तनीय हैं। भाग IV में ग़ैर–वादयोग्य अधिकारों के समूह का भी उल्लेख है, जो लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों से जुड़े हुए हैं। इन अधिकारों को 'राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों' के रूप में जाना जाता है, जो विधिक रूप से राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं हैं, किन्तु "देश के सुशासन में आधारभूत हैं तथा इन सिद्धांतों को नियम बनाते समय लागू करना राज्य का कर्त्तव्य होगा" [अनुच्छेद 37] । भारत के संविधान का भाग IV, जिसमें राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत दिए हुए है, में अल्पसंख्यकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले निम्नलिखित उपबंधों शामिल है।

(क) विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे और विभिन्न व्यवसायों में लगे व्यक्तियों और लोगों के समूहों के बीच स्थिति, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने के लिए प्रयास करना' राज्य की ज़िम्मेदारी; [अनुच्छेद 38 (2)]

(ख) 'लोगों के कमज़ोर वर्गों, (अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अलावा) के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को 'विशेष देखरेख के साथ प्रोत्साहित करना' राज्य की ज़िम्मेदारी; [अनुच्छेद 46]

4.9 **मौलिक कर्त्तव्य (अध्याय IVक)**: मौलिक कर्त्तव्यों (गैर प्रवर्तनीय एवं गैर–वादयोग्य) संबंधी अध्याय को 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान में अंतःस्थापित किया गया, और इसमें सभी नागरिकों के बुनियादी दायित्वों के साथ निम्नलिखित शामिल हैः (क) धार्मिक, भाषाजात और क्षेत्रीय एवं वर्गीय विविधताओं से परे भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव तथा आम भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करना; [अनुच्छेद 51 क (ङ)] ; (ख) हमारी संयुक्त संस्कृति की समृद्ध विरासत का सम्मान एवं संरक्षण करना; [अनुच्छेद 51 क (च)] ;

4.10 **अल्पसंख्यकों के अधिकार भारतीय संविधान में गैर–संशोधनीय हैं (अनुच्छेद 368 व संविधान की मूल संरचना):** भारत के संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य भारत को प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणतंत्र बनाना है। 42वें संशोधन द्वारा इसमें समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्दों को शामिल किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान के उपबंधों में संशोधन की व्यवस्था है। मूल संरचना के सिद्धांत, जैसा कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में कायम रखा गया था, ने कतिपय संवैधानिक सिद्धांतों एवं मूल्यों की पहचान की जिसने संविधान की मूल नींव और संरचना को तैयार किया, और निष्कर्ष निकाला कि ऐसे पहलुओं को संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से बदला नहीं जा सकता। बहुत से संवैधानिक मामले विशेषकर एस0 आर0 बोम्मई बनाम भारत संघ ने तब से यह निर्णय दिया कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की मूल संरचना का निर्माण करती है।

4.11 **अल्पसंख्यकों एवं अनुसूचित जनजातियों को शासित करने वाला विधायी ढांचा (आईपी)**

4.12 **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 :** अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन करना तथा उनसे जुड़े तथा उसके प्रासंगिक मामलों के लिए प्रावधान करना। आयोग की 1992 के शासी संविधि की उच्चतम न्यायालय द्वारा मिसबाह आलम शेख़ बनाम महाराष्ट्र राज्य एआईआर 1947 9(1419; बाल पाटिल बनाम भारत संघ एआईआर 2006 एससी) में जांच की गई है और व्याख्या की गई है।

4.13 **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग अधिनियम, 2004 :** एक आयोग गठित करना जिस उत्तरदायित्व केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार को अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित किसी मामले, जो उसे संदर्भित किए जाएं, पर सलाह देना अल्पसंख्यकों द्वारा अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं संचालन करने के अधिकारों के वंचन अथवा उल्लंघन से संबंधित विशिष्ट शिकायतों की जांच करना, किसी अनुसूचित विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्धता के बारे में किसी विवाद पर निर्णय देना तथा अपने निष्कर्षों को कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार को सूचित करने होंगे। अधिनियम में 2006 में व्यापक रूप से संशोधन किया गया था (2006 का अधिनियम 18) जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ, अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना एवं संचालन करने तथा किसी विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्धता के बारे में किसी विवाद पर निर्णय देने तथा उसके निष्कर्ष को कार्यान्वयन हेतु उपयुक्त सरकार को सूचित करने से संबंधित शिकायतों की अपने आप अथवा किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान (अथवा उसकी ओर से किसी व्यक्ति) द्वारा उसे प्रस्तुत की गई याचिका पर जांच करने का आयोग को अधिकार दिया गया। अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि यदि किसी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान तथा किसी विश्वविद्यालय के साथ उसकी सम्बद्धता के संबंध में उस विश्वविद्यालय के साथ कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

4.14 **राज्य अल्पसंख्यक आयोग :** बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1991, कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1994, उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1994, मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1996, पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1996, आंध्र प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1999 तथा दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1999 जैसे विधेयको के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के राज्य अल्पसंख्यक आयोगों की स्थापना की गई है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम सामान्यतया स्थानीय सरकारों को अपने–अपने राज्यों के अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करने का अधिकार प्रदान करते हैं।

4.15 **नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 1955 :** [पूर्व में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 के रूप में प्रसिद्ध] अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां(अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 को अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों को अस्पृश्यता, भेदभाव, अपमान इत्यादि से बचाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया है।

4.16 विधायी ढांचा :

(क) **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951,** धारा 125 (चुनावी लाभ के लिए धर्म का प्रयोग करना)

(ख) **भारतीय दंड संहिता : धारा 153–क और 153–ख** निम्नलिखित अपराधों के लिए शास्तियां निर्धारित करती हैं :– (i) धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को प्रोत्साहित करना और सद्भाव के लिए प्रतिकूल कार्य करना । (ii) राष्ट्रीय अखंडता के प्रतिकूल लांछन तथा अभिकथन। राष्ट्रीय एकता परिषद की अनुशंसा पर 1969 तथा 1972 में अपराध (i) के बारे में प्रावधान में काफी संशोधन किए गए। कोई भी संस्था जो अपने उद्देश्य के लिए आईपीसी के इन उपबंधों के अधीन किसी 'क्रियाकलाप' को करे अथवा जो लोगों को इस प्रकार के क्रियाकलाप के लिए प्रोत्साहित करें अथवा सहायता दे, उसे गैर–कानूनी क्रियाकलाप (रोकथाम) अधिनियम 1967 के अधीन 'अवैध संस्था' समझा जाएगा और उस पर वे शास्तियां लगाई जाएंगी जिनका ऐसी संस्थाओं के लिए अधिनियम में प्रावधान है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत, आईपीसी की धारा 153–क तथा 153–ख के अधीन अपराधों के दोषी व्यक्तियों को अधिनियम–धारा 8 में विनिर्दिष्ट विभिन्न स्थितियों में विभिन्न अवधियों के लिए केन्द्र और राज्य विधानसभाओं के चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहरा दिया जाएगा।

(ग) **भारतीय दंड संहिता का अध्याय XV; जिसमें 295–298 धाराएं हैं, पूरी तरह 'धर्म के विरुद्ध अपराधों' हेतु दंडों के लिए समर्पित है।** इन उपबंधों में निम्नलिखित कृत्यों में से प्रत्येक को क्रमशः अपराध के रूप में घोषित किया गया है : (i) व्यक्तियों के किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने की मंशा से पूजा के स्थल को क्षति पहुंचाना अथवा अपवित्र करना, (ii) व्यक्तियों के (i) व्यक्तियों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की मंशा से उनके धर्म अथवा धार्मिक मान्यताओं का अपमान करते हुए जान–बूझकर किया गया और दुर्भावनापूर्ण कृत्य (iii) धार्मिक पूजा अथवा समारोहों के निष्पादन में कानूनी रुप से जुटी किसी धार्मिक सभा में बाधा डालना (iv) किसी पूजा स्थल अथवा कब्रिस्तान आदि में अनाधिकार प्रवेश करना अथवा व्यक्ति या व्यक्तियों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की दृष्टि से अंत्येष्टि की सभा में बाधा डालना (v) किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की मंशा से कुछ शब्द बोलना अथवा ध्वनि करना अथवा इशारा करना।

(घ) **'अपराधिक अभित्रास, वाद एवं क्षोभ' धारा 505 से संबंधित भारतीय दंड संहिता का अध्याय XXII,** निम्नलिखित अपराधों के लिए शास्तियों का प्रावधान करता है : (i) किसी समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ अपराध करने के लिए उकसाने की अथवा उकसाने की संभावना की मंशा के साथ कोई बयान, अफवाह अथवा रिपोर्ट तैयार करना, प्रकाशित व परिचालित करना (ii) विभिन्न धार्मिक समूहों अथवा समुदायों के बीच धर्म अथवा समुदाय के आधारों पर घृणा, शुत्रता अथवा दुर्भावना पैदा करने की मंशा से अफवाह अथवा भयप्रद समाचार वाला कोई बयान अथवा रिपोर्ट तैयार करना, प्रकाशित व परिचालित करना; (iii) किसी पूजा स्थल अथवा धार्मिक स्थल में उपर्युक्त (ii) अपराध करना। अपराधिक दंड संहिता के उपबंधों के कारण भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत धर्म के विरुद्ध सभी अपराध संज्ञेय एवं गैर–जमानती हैं।

(ड़) **सेना अधिनियम, 1950** में अधिनियम द्वारा शासित व्यक्तियों के कोर्ट मार्शल और सजा द्वारा दोषसिद्धि का प्रावधान है यदि वे निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करें : (क) किसी पूजास्थल को अपवित्र करना, (ख) धर्म का अपमान करना, अथवा (ग) किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को आहत करना–धारा 64। अधिनियम की धारा 66 में भी ऐसा ही प्रावधान मिलता है।

(च) **धार्मिक संस्थान (दुरूपयोग की रोकथाम) अधिनियम 1988** (गैर–कानूनी गतिविधियों के लिए पूजास्थलों का दुरूपयोग करना); तथा पूजा स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम 1991 (पूजास्थलों के स्वरूप को क्षतिग्रस्त करना); उड़ीसा में साम्प्रदायिक अपराधियों के खतरनाक क्रियाकलापों की रोकथाम अधिनियम 1993 से लागू किया गया है।

(झ) **पुलिस बल (अधिकारों का प्रतिबंध) अधिनियम, 1966** पुलिस बल के सदस्यों को किसी भी तरह से अन्य किसी सोसायटी, संस्था, संघ अथवा संगठन से जुड़ने से रोकता है, किंतु पूर्ण रूप से धार्मिक स्वरूप के ऐसे किसी निकाय के लिए विशेष रियायत देता है, जो सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने हेतु तथ्य का प्रश्न होगा–धारा 3। धर्म से संबंधित उपबंध, उल्लिखित से अधिक अथवा मिलते–जुलते, निम्नलिखित कानूनों में भी मिलते हैं : नौसेना अधिनियम 1957, रेल संरक्षण बल अधिनियम 1957, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968, तटरक्षक अधिनियम 1978, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992.

(ज) **अचल सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952, धारा–3(2)** राज्य को सामान्य परिस्थितियों में ऐसी किसी सम्पत्ति के अधिग्रहण से रोकती है जिसका जनता द्वारा धार्मिक पूजा के लिए उपयोग किया जाता है। महिलाओं और लड़कियों का अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 किसी धार्मिक समुदाय से संबंधित सार्वजनिक पूजास्थलों के आसपास वेश्यावृत्ति के क्रियाकलापों का निषेध करता है और ऐसे किसी स्थान से निर्धारित दूरी के भीतर इस प्रकार का क्रियाकलाप करने अथवा उसकी अनुमति देने वालों के लिए शास्तियों का प्रावधान करता है।

4.17 **अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों का मान्यकरण) अधिनियम, 2006:** यह अधिनियम वन में रहने वाले उन अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पारम्परिक वनवासियों को वन भूमि में वन अधिकारों और अधिग्रहण को मान्यता देता और निहित करता है, जो पीढ़ियों से ऐसे वनों में निवास कर रहे हैं किंतु जिनके अधिकारों को अभिलिखित नहीं किया जा सका, तथा इस प्रकार निहित किए गए वन अधिकारों और वन भूमि के संदर्भ में ऐसे मान्यकरण और निहित करने हेतु अपेक्षित साक्ष्य की प्रकृति को अभिलिखित करने हेतु रूपरेखा उपलब्ध करता है। वन निवासी अनुसूचित जनजातियों, वन भूमि, वन अधिकारों, वन ग्रामों इत्यादि की परिभाषाओं को अधिनियम की धारा 2 में शामिल किया गया है। केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय, अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी है।

4.18 **पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1966 के उपबंध:** यह अधिनियम पंचायतों के संबंध में संविधान के भाग IX के उपबंधों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार का प्रावधान करता है। अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, किसी भी विकास संबंधी परियोजना के लिए अनुसूचित क्षेत्र की भूमि का अधिग्रहण करने से पूर्व और प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास अथवा पुनर्स्थापन किए जाने के पूर्व संबंधित ग्राम सभाओं अथवा पंचायतों से सलाह–मशविरा किया जाएगा।

4.19 **अल्पंसख्यकों हेतु नीतियां व योजनायें**

4.20 **अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु सरकारी योजनायें एवं नीतियां:** भारत सरकार ने अल्पसंख्यकों के विकास के लिए कई कार्यक्रम संचालित किए है जैसे कि बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, जो अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में नवीन सामाजिक–आर्थिक अवसंरचना का सृजन करते हुए और मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराते हुए उनकी विकास संबंधी कमियों को पूरा करने के लिए क्षेत्र विकास पहल है; सीखो और कमाओ योजना, जो अल्पसंख्यकों हेतु कौशल विकास पहल है; तथा अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्ति योजनायें। राज्यों की सरकारों और साथ ही केंद्र सरकार ने इन समुदायों के समूचे विकास एवं उत्थान के लिए इन्हें अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं।

4.21 **बहु–क्षेत्रीय विकास योजना:** अल्पसंख्यक बहुल ज़िलों में सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जनगणना 1971 के आँकड़ों के आधार पर ज़िले में 20 प्रतिशत अथवा अधिक की अल्पसंख्यक आबादी के एकल मापदंड के आधार पर 1987 में, 41 अल्पसंख्यक बहुल ज़िलों की सूची तैयार की गई थी। बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम संकल्पना सच्चर समिति की अनुशंसाओं पर विशेष अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में शुरू की गई है। बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) में

11वीं पंचवर्षीय योजना की शुरूआत में सरकार द्वारा अनुमोदित और वर्ष 2008–09 में 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में आरंभ की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है। यह अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में नवीन सामाजिक–आर्थिक अवसंरचना का सृजन करते हुए और मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराते हुए उनकी विकास संबंधी कमियों को पूरा करने के लिए की गई क्षेत्र विकास पहल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अल्पसंख्यकों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाना और लोगों के जीवन–स्तर में उधार लाने के लिए उन्हें मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराना तथा अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों की असमानताओं को कम करना है। एमएसडीपी के अंतर्गत आरंभ की गई परियोजनायें आय सृजन के अवसरों को सृजित करने के लिए बनाई गईं योजनाओं के अलावा शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पक्के मकान, सड़कें, पेयजल हेतु बेहतर अवसंरचना की व्यवस्थाओं से संबंधित होंगी। योजना का उद्देश्य अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराते हुए भारत सरकार की मौजूदा योजनाओं में अंतराल को भरना और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए नॉन–गेप फिलिंग (नवाचारी परियोजनायें) परियोजनायें आरंभ करना है।

4.22 **छात्रवृत्ति योजनायें**: अल्पसंख्यक समुदायों यथा इसाई, सिक्ख, पारसी, मुस्लिम, जैन और बौद्धों से संबंधित छात्रों को विशिष्ट मापदंड पूरा करने पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए मेट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना, मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना तथा मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रहीं 3 छात्रवृत्ति योजनायें हैं। पहली योजना कक्षा 10 तक की शिक्षा के लिए है, दूसरी 11वीं और 12वीं कक्षा से पीएचडी तक के लिए है और अंतिम, इंजीनियरिंग, चिकित्सा आदि सरीखे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए हैं।

4.23 **अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए निशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजनाः**–इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों को सशक्त बनाना है जो अपेक्षतया अपने कौशलों और क्षमताओं के दृष्टिगत अलाभकर स्थिति में हैं, इससे उन्हें उद्योगों, सेवा सोसायटी में उनकी तथा उनके लिए कार्यरत संस्थाओं की सहायता करके रोज़गार योग्य बनाया जाएगा, ऐसा उन्हें सतत आधार पर बाज़ार की गतिविधियों के अनुरूप ढालने के योग्य बनाकर किया जाना है ताकि लक्षित वर्ग सरकारी क्षेत्र के अतिरिक्त बढ़ते हुए व्यवसाय क्षेत्रों द्वारा होने वाली व्यावसायिक मूलग्राहिता से वंचित न रह सकें। इसकी निर्मित को बदलने वालीं/बाज़ार की उभर रहीं ज़रूरतें तथा घरेलू एवं साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर रोज़गार के अवसर हैं।

4.24 **राज्य वक़्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरणः** इस योजना का उद्देश्य रिकार्ड कीपिंग को सुग्राही बनाना, पारदर्शिता करना तथा एकल वेब आधारित केन्द्रीकृत एप्लीकेशन तैयार करना है।

4.25 **एनएमडीएफसी को इक्विटीः** राष्ट्रीय अल्पंसख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) को अधिसूचित अल्पसंख्यकों के पिछड़े तबकों के बीच के आर्थिक क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 30 सितंबर, 1994 को निगमित किया गया था। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, एनएमडीएफसी अल्पसख्यंक समुदायों के ग्रामीण क्षेत्रों में 81,000/– रु० प्रतिवर्ष तथा शहरी क्षेत्रों में 1,03,000/– रू० प्रतिवर्ष की पारिवारिक आय वाले पात्र लाभार्थियों को स्व–रोजगार के क्रियाकलापों के लिए रियायती वित्त उपलब्ध करा रहा हे। विशेष पहल के रूप में, सितंबर, 2014 से 6.00 लाख रु० प्रतिवर्ष तक की नई वार्षिक पारिवारिक आय पात्रता की शुरूआत की गई है। यह श्रेणी ब्याज की उच्च दर पर रियायती ऋण प्राप्त करेगी। एनएमडीएफसी की प्राधिकृत शेयर पूँजी, जो 2004 में 650 करोड़ रुपये थी, अब 1500 करोड़ रुपये हो गई है।

4.26 एमएईएफ को समग्र निधियांः– मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य विशेषकर शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों तथा सामान्यतः कमज़ोर तबकों के लिए योजनायें तैयार करना व संचालित करना है। ये योजनायें मुख्यतया दो प्रकार की हैं, अर्थात् गैर–सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान, जो बालिका छात्राओं पर विशेष ध्यान देते हुए स्कूलों/छात्रावासों,

तकनीकी/व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों के निर्माण एवं विस्तार के लिए होता है तथा मेधावी बालिका छात्राओं को छात्रावृत्तियां। प्रतिष्ठान द्वारा चलाई जा रहीं विभिन्न योजनायें निम्नलिखित हैः स्कूलों/आवासीय स्कूलों/कॉलेजों की स्थापना/विस्तार के लिए वित्तीय सहायता; प्रयोगशाला के उपकरणों और फर्नीचर इत्यादि की खरीद के लिए वित्तीय सहायता; व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र/संस्थानों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता; छात्रावास भवन निर्माण के लिए वित्तीय सहायता; मेधावी छात्राओं के लिए मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां; मौलाना अबुल कमाल आज़ाद साक्षरता पुरस्कार।

4.27 **अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजनाः–** अध्येतावृत्ति का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को एम.फिल तथा पीएचडी सरीखे उच्चतर अध्ययनों को जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में एकीकृत पंचवर्षीय अध्येतावृत्तियां उपलब्ध कराना है। यह योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा यूजीसी के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों से संबंध रखने वाले छात्रों के लिए कार्यान्वित की जाती है।

4.28 **मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय कौशल अकादमीः** मानस की स्थापना देश के अल्पसख्ंयक समुदायों की सभी कौशल विकास/उन्नयन की जरूरतों को पूरा करने के लिए संस्थागत प्रबंध उपलब्ध कराने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में की गई हैं मानस एक विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) है जिसमें उन कौशल समूहों के लिए, जितनी माँग है, गुणवत्तापरक कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ देश में राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण प्रदायकों के साथ सहयोग के आधार पर (पीपीपी मोड) अखिल भारतीय स्तर का प्रशिक्षण विन्यास शामिल है। मानस अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का नीति क्रियाकलाप है जिसका उद्देश्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों को स्व–रोजगार पर प्राथमिक फोकस करते हुए स्व–रोजगार/मज़दूरी रोजगार के संदर्भों में सार्थक एवं टिकाऊ आजीविका विकल्प उपलब्ध कराते हुए सबका साथ–सबका विकास की उपलब्धि के लिए सरकार की "स्किलिंग इंडिया" की संकल्पना को साकार करना है।

4.29 मानस ने माननीया अल्पसंख्यक कार्य मंत्री की उपस्थिति में 8 अक्तूबर, 2014 को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के साथ व्यापक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया हैं इसने उद्यमिता संबंधी कौशल प्रशिक्षण परिवेश को प्रोत्साहित एवं विकसित करने के लिए सुरक्षा, एपारेल, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, लॉजिस्टिक्स, टेलीकॉम, स्वास्थ्य परिचर्चा, सौंदर्य एवं आरोग्यता, फर्नीचर एंड फिटिंग, पर्यटन एवं आतिथ्य और लाइफ सांइस क्षेत्रों के 10 क्षेत्र कौशल परिषदों के साथ समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षरित किया है।

4.30 देश के विभिन्न भागों में कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करने के लिए, तथा अपने नेटवर्क का विस्तार करने के लिए, मानस ने 260 से अधिक परियोजना क्रियान्वयनकर्ता अभिकरणों (पीआईए) को पंजीकृत किया है, जो कौशल विकास में 35 क्षेत्रों से अधिक के फील्ड में 29 राज्यों/3 संघ राज्य क्षेत्रों में मौजूद हैं।

4.31 **"नई रोशनी"(अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना)**: यह एक नेतृत्व क्षमता विकास की योजना है जिसका उद्देश्य सभी स्तर पर सरकारी तंत्रों, बैंकों एवं अन्य संस्थानों के साथ संपर्क करने हेतु जानकारी, उपकरण एवं विधियां उपलब्ध कराते हुए उसी गाँव/मोहल्ले में रहने वाली अन्य समुदायों की पड़ोसनों सहित अल्पसंख्यक महिलाओं का सशक्तिकरण करना तथा उनमें विश्वास जगाना है।

4.32 **सीखो और कमाओः**–यह अल्पसख्ंयक कार्य मंत्रालय की कौशल विकास योजना है जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों की बेरोजगारी की दर में कमी लाना हैं। इस योजना का उद्देश्य आधुनिक ट्रेडों के लिए प्लेसमेंट संबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम, पारम्परिक ट्रेडों के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत करना है, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में मृदु कौशल प्रशिक्षण, आधारभूत सूचना एवं प्रोद्यौगिकी

(आई.टी.) तथा अंग्रेजी प्रशिक्षण, 75 प्रतिशत रोजगार सुनिश्चित करने के लिए, जिसमें से 50 प्रतिशत संगठित क्षेत्र में होगा, परियोजना क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण, प्लेसमेंट हेतु तंत्र एवं प्लेसमेंट उपरांत सहायता, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत सहायता भी शामिल है।

4.33 **जियो पारसीः** यह योजना भारत में पारसियों की आबादी की गिरावट को नियंत्रित करने के लिए है। इस योजना के दो संघटक हैं क) परामर्शी संघटक, ख) चिकित्सा संघटक। पहले वाले घटक में पारसी परिवारों को समुदाय के युवाओं में समय पर विवाह को प्रोत्साहित करने, यौवनावस्था के आरंभ से ही चिकित्सीय समस्याओं के निदान हेतु उपचार कराने, सही समय पर मात्–पितृत्व प्राप्त करने तथा बाँझपन का पता चलते ही उपचार कराने के लिए सहायता प्राप्त करने के लिए परामर्श शामिल है, पश्चात् के संघटक में बाँझपन से संबंधित समस्याओं का पता चलते ही उपचार करना शामिल है। इस योजना में सरोगेसी को शामिल करने के लिए इसे और संशोधित किया गया है।

4.34 **पढ़ो परदेस योजनाः** इस योजना का उद्देश्य अधिसूचित अल्पसख्यंक समुदायों के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों से संबंधित मेधावी छात्रों को ब्याज इमदाद मुहैया कराना है ताकि उन्हें विदेश में उच्चतर शिक्षा के लिए बेहतर अवसर मिल सकें और उनकी रोज़गारपरकता में वृद्धि हो सके।

4.35 **हमारी धरोहरः** यह योजना भारतीय संस्कृति की समग्र संकल्पना के अधीन भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत का संरक्षण करने के लिए है। इस योजना के माध्यम से, सरकार का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों की विरासत का प्रदर्शन एवं संरक्षण करना और विरासत से संबंधित सेमीनारों/कार्यशालाओं का आयोजन करने के लिए सहायता देने हेतु आईकॉनिक प्रदर्शनियों के साथ–साथ प्रदर्शनियों के आयोजन में सहायता देना, कैलिग्रेफी आदि को सहायता देना व प्रोत्साहित करना, साहित्य, प्रलेखों, पाण्डुलिपियों आदि का संरक्षण, मौखिक परंपराओं और प्रारूपों का प्रलेखन, एथनिक संग्रहालयों (संस्कृति मंत्रालय अथवा इसके निकायों की योजनाओं के अधीन समर्थित नहीं) को सहायता देना हैं। इस योजना में विरासत के संरक्षण एवं विकास में अनुसंधान के लिए अध्येतावृत्ति तथा अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए किसी व्यक्ति/संगठन को अन्य कोई सहायता देने की भी व्यवस्था है।

4.36 **नई उड़ानः** यह योजना सिविल सेवाओं मे अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग (पीएससी) आदि द्वारा संचालित प्रारम्भिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सहायता देने के लिए है।

4.37 उपर्युक्त योजनाओं के अलावा, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, की राज्य चैनेलाइज़िंग एजेंसियों को सहायता अनुदान योजना सरीखी योजनायें भी चलाता है, वक़्फ बोर्डों के सुदृढ़ीकरण की योजनायें भी इस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं।

4.38 **अनुसूचित जनजाति सशक्तिकरण योजनायेंः–** हमारे देश में चहुँ ओर रह रहीं अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है। जनजातीय लोगों के कल्याण एवं भलाई को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बहुत–सी नीतियां बनाई हैं। इन समुदायों को ग़रीबी तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण करते हुए तथा उनके आवासों का एकांत दूर करने के लिए संचार को विकसित करके उनके आर्थिक विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकारों और साथ ही केंद्र स्तर पर भी सतत् प्रयास किए गए हैं।

5. नीति ढांचा

5.1 **महत्वपूर्ण रक्षोपाय नीति अनुप्रयोगः** नई मंज़िल योजना विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से क्रियान्वित की जाएगी। अतः, यह योजना विश्व बैंक, इस परियोजना के लिए वित्तपोषक भागीदार की लागू सामाजिक रक्षोपाय नीतियों के अनुरूप क्रियान्वित की जाएगी। इस परियोजना में कोई निर्माण क्रियाकलाप जैसे प्रशिक्षण सुविधाओं को स्थापित करना शामिल नहीं हैं। इस परियोजना के लिए अनिवार्य भूमि अधिग्रहण वर्जित किया गया है क्योंकि प्रस्तावित क्रियाकलापों में कोई सिविल निर्माण कार्य शामिल नहीं है। अतः अनैच्छिक पुनर्वास पर विश्व बैंक की नीति (ओपी 4.12) लागू नहीं होगी। नई मंजिल एक राष्ट्रव्यापी योजना है और झारखंड, छत्तीसगढ, उड़ीसा तथा उत्तर पूर्वी राज्यों सहित देशभर के अल्पसंख्यक समुदयों के लिए है। इसलिए विश्व बैंक प्रचालनात्मक नीति (ओपी) 4.10 (स्वदेशी लोग) लागू होगी।

5.2 **लागू राष्ट्रीय कानूनः** यह योजना भारत सरकार और जिन राज्यों में कार्यान्वित की जाती है। के संगत कानूनों और नीतियों के अनुरूप अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की जाएगी, जिस पर इस दस्तावेज के अध्याय–4 में विस्तार से चर्चा की गई है।

5.3 **जेन्डर समानता और सामाजिक समावेशन दिशानिर्देशः** यह परियोजना अल्पसंख्यक समुदायों में से संवेदनशील समुदायों पर अपने सुस्पष्ट फोकस के साथ सामाजिक रूप में समावेशी और जेंडर संवेदनशील है। यह मंत्रालय अल्पसंख्यकों में महिलाओं और गरीबों तथा संवेदनशील समूहों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए अल्पसंख्यकों को लक्षित करके पहले ही अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रहा है 'नई रोशनी' एक नेतृत्व विकास योजना है और जिसका उद्देश्य उसी गांव/मुहल्ले में रहने वाली अन्य समुदायों से संबंधित उनकी पड़ोसियों सहित अल्पसंख्यक महिलाओं को सरकारी तंत्रों, बैंकों तथा सभी स्तरों पर अन्य संस्थानों के साथ संपर्क करने के लिए जानकारी, उपकरण, एवं तकनीके उपलब्ध कराते हुए उन्हें सशक्त बनाना और उनमें विश्वास जगाना है। नई मंज़िल का क्रियान्वयन नई रोशनी योजना के साथ समन्वय स्थापित करके किया जाएगा। अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और अर्जन में सहायता की अनेक योजनाएं हैं। नई मंज़िल कार्यक्रम विगत में कार्यान्वित इन योजनाओं के अनुभव से लाभान्वित होगा।

5.4 **महत्वपूर्ण जेईएसआई क्रियान्वयन दिशानिर्देशों में निम्नलिखित शामिल हैः**

(क) योजना में प्रशिक्षण कार्यक्रम लाभार्थियों में महिला अभ्यार्थियों के लिए कम से कम 30 प्रतिशत निर्धारित किया जाएगा;

(ख) इस योजना में ज्ञान में पिछड़े लोगों सहित विकलांगता के साथ जी रहें लोगों की जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और अल्पसंख्यक समुदायों के विकलांगों के लिए 5 प्रतिशत सीटें निर्धारित की जाएंगी;

(ग) इस योजना में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अल्पसंख्यक युवाओं के बीच अति संवेदनशील लोगों तक पहुँच सुनिश्चित करना शामिल होगा;

(घ) क्रियान्वयन प्रक्रिया में मार्गदर्शन के लिए अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व वाली एक तकनीकी सलाहकार समिति होगी;

(ङ) इस योजना में सांस्कृतिक रूप से समुचित मीडिया का उपयोग करते हुए अल्पसंख्यक समुदायों में समुदाय को गतिशील बनाने, छात्र अभिमुखीकरण और जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।

(च) लक्षित समूहों, विशेषकर महिलाओं और संवेदनशील समुदायों की जरूरतों और समस्याओं के समाधान के लिए एक हेल्पलाइन होगी;

(छ) प्रशिक्षण प्रक्रिया में पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में जेंडर संदेवनशीलता श्रम कानूनों और वित्तीय साक्षरता पर छात्र अभिमुखीकरण शामिल होगा।

5.5 **स्वदेशी जन नीति ढांचाः** भारत सरकार में एक विशेष जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) है जो अनेक मंत्रालयों के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है कि विकास के लाभ अनेक लक्षित योजनाओं और विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा क्रियान्वित विकास के अनेक कार्यक्रमों में जनजातीय लोगों की जरूरतों और सरोकारों को मुख्यधारा में लाते हुए उन तक पहुंचाना सुनिश्चित करना है। अध्याय–3 में स्वदेशी लोगों (अनुसूचित जनजाति) के विभिन्न संवैधानिक अधिकारों, किसी नुकसान को रोकने के लिए कानूनी ढांचे और विभिन्न किस्म के शोषण से उनकी रक्षा करने के बारे में विस्तार से ब्यौरा दिया गया है। उन लोगों को दंडित करने के लिए अनेक दंडात्मक प्रावधान हैं जो अध्याय–4 में वर्णित जनजातीय लोगों से भेद–भाव करते हैं अथवा उनका शोषण करते हैं।

5.6 **नई मंजिल** मुख्य रूप से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अल्पसंख्यक परिवारों के युवाओं पर लक्षित है। तथापि, परियोजना में गैर–अल्पसख्यंक परिवारों से गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों के लिए प्रशिक्षण में 15 प्रतिशत सीटें निर्धारित होंगी जिसमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के परिवार शामिल हो सकते हैं। इस प्रकार, इस योजना में जनजातीय और गैर–जनजातीय अल्पसंख्यकों के बीच कोई भेदभाव नहीं है क्योंकि मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समूहों के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों तक पहुंचना है। तथापि, जहाँ कहीं, जनजातीय अल्पसंख्यक स्थानीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ इस योजना के केंद्र स्थापित किए जाते हैं, वहां जनजातीय युवा लाभान्वित होंगे। एक उदाहरण पूर्वोत्तर, पूर्वी, दक्षिण पूर्व, पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी भाग है जहाँ अल्पसंख्यक दर्जे वाले जनजातीय लोग पाए जा सकते हैं और इस प्रकार लाभान्वित होंगे।

5.7 इस योजना के लिए आईपीपीएफ के महत्वपूर्ण घटकों में निम्नलिखित शामिल होंगेः

(क) योजना द्वारा कवर किए जाने वाले गरीब गैर–अल्पसंख्यक युवाओं के लिए निर्धारित 15 प्रतिशत सीटों के भीतर अनुसूचित जनजाति और जातियों पर विशेष विचार करना।

(ख) क्षेत्र स्तर पर सामुदायिक गतिशीलता पर जोर देते हुए लाभार्थियों के साथ निःशुल्क, पूर्व और सूचित परामर्श के लिए एक मजबूत परामर्श ढ़ांचा मुहैया कराना;

(ग) सभी लाभार्थियों के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र और जनजातीय तथा छात्राओं सहित अल्पसंख्यक युवाओं के बीच संवेदनशील के लिए एक हेल्पलाइन;

(घ) लाभार्थी समुदायों तक पहुंचने के लिए सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त मीडिया के उपयोग पर जोर देते हुए एक ठोस सूचना, शिक्षा और संचार रणनीति;

(ड़) इस योजना के अधीन अन्य लाभों के साथ ऐसे लाभों का प्रावधान जिसके अल्पसंख्यक जनजातीय युवक अनुसूचित जनजाति अथवा अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित होने पर हकदार हो सकते है।

5.8 **परामर्शी ढांचाः** नई मंजिल के प्राथमिक पणधारियों में मुख्यतः गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के युवा शामिल हैं। अनुषंगी पणधारियों में शामिल हैं : कार्यक्रम क्षेत्रों में युवाओं के साथ कार्य करने वाले विश्वास और गैर–विश्वास आधारित सीबीओ, प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, संबंधित राज्य सरकारों और संघ सरकार के संगत विभाग और एजेंसियां इस मुद्दे

पर काम कर रहे आईएनजी और एनजीओ अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा इस्लामिक केन्द्र, नई दिल्ली में अक्तूबर 16, 0215 को अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं और क्षेत्र में कार्यरत विकास संगठनों सहित महत्वपूर्ण पणधारियों के साथ एक निःशुल्क, पूर्व और सूचित परामर्शन आयोजित किया गया था ताकि उनके विचार और इनपुट सूचीबद्ध किए जा सकें। प्रशिक्षण क्रियाकलापों की योजना बनाने और क्रियान्वित करने के लिए फील्ड स्थानों में अनुवर्ती विद्यार्थी अभिमुखीकरण तथा समुदाय गतिशीलता कार्यक्रम किया जाएगा।

5.9 **प्रकटनः** अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा स्वदेशी जन नीति योजना (आईपीपी) और जेंडर समानता तथा सामाजिक समावेशन (जीईएसआई) दिशानिर्देशों सहित यह सामाजिक प्रबंधन ढांचा (एसएमएफ) देश में प्रकट किया जाएगा। यह योजना भी पात्रता मानदंड, क्रियान्वयन दिशानिर्देश अग्रिम रूप से प्रकट करेगी और प्रशिक्षण लाभार्थी सूची मंत्रालय द्वारा स्थानीय तौर पर और अपने वेबसाइट पर दर्शायी जाएगी।

5.10 **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005:** इस अधिनियम में प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण की प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण के अंतर्गत सूचना और उससे संबंधित अनुषंगी मामलों की पहुँच प्राप्त करने के लिए नागरिकों हेतु केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों की सूचना के अधिकार की व्यावहारिक प्रणाली स्थापित करने की व्यवस्था है। ए पीएमयू–अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में इस अधिनियम के अंतर्गत, लोक प्राधिकारी के रूप में एक विनिर्दिष्ट लोक सूचना अधिकारी होगा। सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया और विनिर्दिष्ट लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) के ब्यौरे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर दर्शाए जाएंगे।

6. कार्यान्वयन व्यवस्थाएं

नई मंज़िल का उद्देश्य गरीब अल्पसंख्यक युवकों को शामिल करना और उन्हें सतत एवं लाभपूर्ण रोजगार के अवसर प्राप्त करने में सहायता करना है जिससे कि उन्हें मुख्य धारा के आर्थिक क्रियाकलापों के साथ जोड़ने में आसानी हो सके। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार परियोजना की प्रधान कार्यान्वयन एजेंसी होगी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय जनवरी 2006 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में से बनाया गया एक नया मंत्रालय है जिसे अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों यथा मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिक्ख, पारसी और जैन से संबंधित मुद्दों पर और अधिक अभिकेंद्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित करना है। मंत्रालय के अधिदेश में संपूर्ण नीति और योजना बनाना, समन्वय, मूल्यांकन और अल्पसंख्यक समुदायों के हित के लिए विनियामक ढांचे और विकास कार्यक्रमों की समीक्षा शामिल है।

मंत्रालय के प्रमुख सचिव हैं जिनकी सहायता के लिए तीन प्रभागों के प्रमुख तीन संयुक्त सचिव और एक संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार हैं। मंत्रालय की स्वीकृत नफरी में 98 अधिकारी/कर्मचारी हैं। तीनों प्रभागों, जिनके प्रमुख एक–एक संयुक्त सचिव है, के कार्यों को निम्नलिखित में विभाजित किया गया है:

क) नीति एवं योजना: इस में समग्र नीति, योजना बनाना, समन्वय, मूल्यांकन और अल्पसंख्यक समुदायों के विनियामक और विकास कार्यक्रमों की समीक्षा शामिल है। अन्य कार्यों में दूसरे कार्यों के साथ–साथ विकास, योजनाओं की मॉनीटरिंग और मूल्यांकन, जेंडर संबंधी मामले और संचार शामिल हैं।
ख) छात्रवृत्तियां और मीडिया: यह ब्यूरो अल्पसंख्यक समुदयों के लिए अनेक छात्रवृत्ति और शिक्षा संबंधी योजनाएं कार्यान्वित करता है।
ग) संस्थान और वक्फ[8] बोर्ड: यह ब्यूरो वक्फ अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन सहित वक्फ संबंधी सभी मामलों और सभी मामलों और संबंधित संस्थानों की कार्य–प्रणाली को देखता है।

संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, फिलहाल अतिरिक्त प्रभार के रूप में धारित पद, मंत्रालय के एकीकृत वित्त प्रभाग (आईएफडी) के प्रमुख हैं। आईएफडी सरकारी खर्च/वित्तीय प्रस्तावों पर सहमति के मामलों में वित्तीय सलाह प्रदान करता है। यह परिणामी बजट के साथ स्वीकृत अनुदान की तुलना में खर्च की प्रगति की मॉनीटरिंग एवं समीक्षा करता है।

6.1 परियोजना प्रबंधन यूनिट: परियोजना के लिए सम्पूर्ण संचालन एक परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में होगा जो भारत सरकार में संयुक्त सचिव के रैंक से नीचे का नहीं होगा। अल्पसंख्यक कार्य मत्रांलय ने नीति एवं योजना प्रभाग के प्रमुख संयुक्त सचिव को परियोजना के कार्यान्वयन का नेतृत्व करने के लिए नामित किया है। इस प्रभाग में भी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त फेर–बदल किए गए हैं क्योकि इसके कामों में कौशल विकास, जेंडर, मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन, संचार आदि आते हैं। इस प्रभाग के प्रमुख एक संयुक्त सचिव हैं, इसकी सहायता के लिए एक निदेशक तथा एक अवर सचिव हैं। मंत्रालय इस योजना के कार्यान्वयन के लिए समर्पित स्टाफ को भी तैनात कर रहा है। यह योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। योजना के प्रबंधन और कार्यान्वयन में सहायता के लिए एक तकनीकी सहायता एजेंसी (टीएसए) को भी काम में लिया जाएगा। मंत्रालय कार्यान्वयन के दौरान जब भी जरुरत हो, इस टीएसए के माध्यम से विषय विशेषज्ञों को किराए पर लेने की व्यवस्था भी कर रहा है। रोजमर्रा के कार्यों का प्रबंधन मंत्रालय में गठित परियोजना प्रबंधन यूनिट (पीएमयू) द्वारा किया जाएगा और तकनीकी सहायता एजेंसी (टीएसए) इस की सहायता करेगी। पीएमयू एक कड़ी जांच के जरिए कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों की पहचान करेगी जो योजना के प्रत्यक्ष कार्यान्वयनकर्ता होंगे। पीएमयू के प्रमुख कार्यों में ये शामिल होंगे–क) रोजमर्रा का परियोजना कार्यान्वयन प्रबंधन और समन्वय और सभी प्रशासनिक और कानूनी अपेक्षाओं को पूरा करना; ख) कार्यान्वयन नियम–पुस्तिका, दिशा–निर्देश

आदि तैयार करना; ग) वार्षिक कार्य योजना बजट, वार्षिक कार्य–निष्पादन तथा वित्तीय रिपोर्टें तैयार करना; घ) संविदा प्रबंधन सहित पीआईए का चयन तथा समापन; ङ) पीआईए की कार्य–प्रणाली की समीक्षा करना; संवितरण पर आगे कार्रवाई और अनुमोदन करना; च) बेहतर लाभार्थी लक्ष्य बनाने और नामांकन के लिए परामर्शी तथा आईईसी करना; छ) गुणवत्ता आश्वासन मानक स्थापित करना; ज) परियोजना मूल्यांकन वार्षिक बेंचमार्किंग सर्वेक्षण आदि सहित योजना की समग्र मॉनीटरिंग और मूल्यांकन करना; झ) योजना के लिए एक एमआईएस गठित करना और उसका रख–रखाव करना, एमआईएस रिपोर्टों की आवधिक समीक्षा करना और किसी आवश्यक कार्रवाई मद की पहचान एवं कार्यान्वित करना। नई मंज़िल योजना की रोजमर्रा की कार्रवाइयों का टीएसए के माध्यम से किराए पर लिए गए टीम लीडर द्वारा नेतृत्व किया जाएगा जो संयुक्त सचिव के समग्र पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन में काम करेगा।

6.2 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय अल्पसंख्यक आबादी समूहों के लिए इस समय लगभग 22 योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। इनमें नगदी अंतरण, कौशल विकास, नेतृत्व विकास, शिक्षा आदि शामिल है। कार्यक्रम प्रबंधन परिप्रेक्ष्य से कुछ योजनाएं जैसे सीखो और कमाओ, ठेठ रूप से ऐसे मॉडल पर आधारित हैं जो नई मंज़िल के मॉडल जैसा है, अर्थात् कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों–(पीआईए) के माध्यम से कार्यान्वयन। मंत्रालय विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया के जरिए प्रतिवर्ष कई एजेंसियों का चयन करता है। कार्यान्वयन की जमीनी स्तर पर किसी तीसरी पार्टी एजेंसी द्वारा मॉनीटरिंग की जाती है जिसे इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से भाड़े पर रखा जाता है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय परियोजना के प्रबंधन के लिए अपनी क्षमता और बढ़ाएगा।

6.3 **पर्यवेक्षय एवं मार्गदर्शनः** राष्ट्रीय स्तर पर, एक संचालन समिति द्वारा परियोजना का मार्गदर्शन किया जाएगा जो योजना के कार्यान्वयन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में गठित की जाएगी। समिति की अध्यक्षता सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा की जाएगी और इसकी संरचना निम्नलिखित अनुसार होगीः

- सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय–अध्यक्ष
- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार (अथवा उसका नामिती)
- संयुक्त सचिव, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
- संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
- अध्यक्ष, राष्ट्रीय ओपन स्कूलिंग संस्थान (अथवा उसका/उसकी नामिती)
- यहा निदेशक, राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी
- सीईओ, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम
- प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम
- भारत सरकार द्वारा शिक्षा और कौशल प्रशिक्षा में विशेषज्ञता रखने वाले नामित हो सदस्य
- क्रमशः सीआईआई, एफआईसीसीआई और एसोचैम द्वारा नामित सदस्य
- पीएमयू का परियोजना निदेशक–सदस्य सचिव

- [8]वक्फ अधिनियम, 1995 के अनुसार–वक़्फ का अर्थ है इस्लाम को मानने वाले किसी व्यक्ति द्वारा मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक अथवा धर्मार्थ के रूप में मान्य किसी परियोजन के लिए किसी भी चल अथवा अचल संपत्ति का स्थायी समर्पण।

6.4 संचालन समिति निम्नलिखित कार्य करेगीः

- परियोजना प्रबंधन यूनिट (पीएमयू) के काम में मार्गदर्शन करना;
- पीएमयू की वार्षिक कार्य योजना और बजट की समीक्षा तथा उसका अनुमोदन करना;
- कार्यान्वयन प्रगति की आवधिक समीक्षा करना;
- लाभार्थियों की पहचान, प्रशिक्षण प्रदान करना, कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) को काम पर लगाने की शर्तों आदि सहित योजना कार्यान्वयन के संबंध में किसी अतिरिक्त दिशा–निर्देशों, परिवर्तनों और परिशोधनों का अनुमोदन करना
- पीएमयू द्वारा उठाए गए किसी अन्य मामले में निर्णय लेना ।
- संचालन समिति की वर्ष में दो बैठके होंगी, यद्यपि अध्यक्ष द्वारा जरूरत के आधार पर तदर्थ बैठकें बुलाई जा सकती है।

6.5 **तकनीकी सलाहकार समितिः** नई मंज़िल के कार्यान्वयन के लिए अकसर सहायत और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए संचालन समिति के अलावा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय स्तर पर एक तकनीकी सलाहकार समिति गठित करने का प्रस्ताव है। समिति की अध्यक्षता परियोजना निदेशक (संयुक्त सचिव) द्वारा की जाएगी। यह समिति पाठ्यक्रम, आउटरीच, सामाजिक समावेशन तथा जेंडर समानता, आईईसी एवं नेटवर्किंग और सीएसओ तथा सामुदायिक नेताओं के साथ सहायोग पर जरूरत–आधारित सलाह प्रदान करेगी। टीएसी पांच सदस्यीय समिति होगी जिसमें संगत एनजीओ, संसाधन संगठनों और सामुदायिक नेताओं के प्रतिनिधि होंगे। संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (परियोजना निदेशक) तिमाही आधार पर तकनीकी सलाहकार समिति की बैठक आयोजित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

6.6 **कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसीः** नई मंज़िल योजना इस प्रयोजनार्थ भाड़े पर ली गई कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा जमीनी स्तर पर कार्यान्वित की जाएगी। पीआईए को निजी (लाभ के लिए अथवा लाभ के लिए नहीं) और /या सरकारी एजेंसियों में से चुना जाएगा। पीआईए एक संकाय बना सकती है जिसमें प्रत्येक भागीदार एक बड़े घटक के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा। पीआईए के चयन के लिए एक विस्तृत आकलन प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। आकलन प्रक्रिया में निम्नलिखित का गुणात्मक आकलन शामिल होगा– क) संगठन की नफरी ख) प्रशिक्षण और प्लेसमेंट कराने का रिकोर्ड ग) शिक्षा संबंधी कार्य का अनुभव घ) अल्पसंख्यक क्षेत्रों में अनुभव ङ) कौशल विकास में अनुभव च) संबंधित राज्य/क्षेत्र में अनुभव छ) उपलब्ध अवसंरचना ज) वित्तीय रिकोर्ड । पीआईए इस योजना के प्रमुख संचालक होंगे। दृष्टिकोण एवं कार्यपद्धति में पर्याप्त लचीलेपन के साथ पीआईए को परिणाम आधारित ठेके दिए जाएंगे। पीआईए 17 से 35 वर्ष के अल्पसंख्यक युवकों को गतिशील बनाने का काम करेंगे।

6.7 आईईसी और जागरूकता उत्पन्न करने के कार्यक्रम अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा बृहत स्तर पर डिज़ाइन एवं कार्यान्वित किए जाएंगे और परियोजना क्षेत्रों में सूक्ष्म स्तर पर पीआईए द्वारा किए जाएंगे। उपयुक्त शिक्षा और जरूरी कौशल की पहचान करने के लिए अभ्यर्थियों की चयन–पूर्व स्क्रीनिग करने हेतु कार्यप्रवृत्त युवकों को काउंसलिंग दी जाएगी। प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद पीआईए प्रशिक्षार्थियों के वेतनशुदा रोजगार में प्लेसमेंट में सुविधा प्रदान करेगी। कुल लक्षित अभ्यर्थियों, क्षेत्र आदि के आधार पर पीआईए आवश्यक मानव संसाधनों का प्रस्ताव कर सकते हैं जिसमें अन्य बातों के साथ प्रबंधकीय स्टाफ, शिक्षा घटक के लिए अध्यापक, कौशल विकास के लिए प्रशिक्षक/अनुदेशक, परार्मशक, प्रशासनिक स्टाफ, प्लेसमेंट प्रकोष्ठके लिए स्टाफ शामिल हो सकता है।

6.8 **समवर्ती मॉनीटरिंग एजेंसीः** अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय एमआईएस पर वास्तविक और वित्तीय रिपोर्टों की समवर्ती मॉनीटरिंग और औचक जांच करने के लिए कोई एजेंसी भाड़े पर लेगा। इससे प्राप्त की

गई सूचना योजना के अधीन आगे निधियों की स्वीकृति एवं जारी करने के लिए निर्णय लेने वाली प्रक्रिया को दी जाएगी। मॉनीटरिंग में (अन्य बातों के साथ) प्रशिक्षण केंद्रों का अचानक दौरा और निम्नलिखित का वैधीकरण शामिल होगाः

- न्यूनतम अवसंरचना की उपस्थिति जो उचित आवश्यकताओं के अनुसार मौजूद होनी चाहिए।
- लाभार्थियों की सत्यता प्रमाणित करने के लिए उपयुक्त विधियों का उपयोग करते हुए एमआईएस प्रविष्टियां।
- लाभार्थियों और/या लाभार्थियों के परिवार के सदस्यों से मिलकर आवासीय क्षेत्र से उन अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण, प्लेसमेंट और उन्हें बनाए रखने के बारे में तथ्य जिन्हें इस योजना के अधीन प्रशिक्षण दिया गया था।

6.9 सत्यापन और डीएलआई की ठोस रिपोर्टिंग के लिए समवर्ती मॉनीटरिंग एजेंसी का भी उपयोग किया जाएगा और ये तृतीय पार्टी सत्यापन रिपोर्टें वार्षिक प्रगति रिपोर्टों (एपीआर) का भी एक हिस्सा होंगे। वार्षिक प्रगति रिपोर्टों में व्यक्तिगत क्रियाकलापों की प्रगति की मॉनीटरिंग के बजाए उद्देश्यों का आकलन और इनपुट का एकमात्र लेखा–जोखा होगा। यह लक्ष्यों को पूरा करने में की गई प्रगति का आकलन करेगी और ली गई सीख और सिफारिशों का ब्यौरा देगी। एपीआर परियोजना के न्यासीय और रक्षोपाय पहलूओं पर भी सूचना देगी। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय जब कभी भी आवश्यक हो पीएमयू के माध्यम से शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसियों को ज्ञान भागीदारों के रूप में काम में लगा सकता है।

6.10 **शिकायत निवारण तंत्रः** प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए शिकायत निवारण तंत्र तैयार किया है। विभिन्न मंत्रालयों के लिए शिकायतें http://pgportal.gov.in/ पर प्राप्त की जाती है। विभागों द्वारा प्राप्त शिकायतें उन शिकायतों से संबंधित मूल कार्रवाई करने वाले संबंधित मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को अग्रेषित कर दी जाती है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय शिकायत निवारण तंत्र के लिए विभाग द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों का पालन कर रहा है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय दिशा–निर्देशों के आधार पर एक तंत्र गठित किया है। इसने एक लोक शिकायत प्रकोष्ठ गठित किया है। इस प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संयुक्त सचिव (प्रशासन प्रभारी) है और इनकी सहायता के लिए निदेशक और अवर सचिव तथा उनका अनुभाग है। यह प्रकोष्ठ केंद्रीय पोर्टल के साथ–साथ मंत्रालय में सीधे प्राप्त होने वाली शिकायतें प्राप्त करता है और उनके समाधान के लिए उचित रूप से अग्रेषित करता है। परियोजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के मौजूदा शिकायत निवारण तंत्र को अपनाएगी और इसे और सुदृढ़ करेगी।

6.11 **बजटः** एसएमएफ के कार्यान्वयन को सम्पूर्ण परियोजना कार्यान्वयन की मुख्य धारा में लाया जाएगा और इसीलिए एसएमएफ के लिए अलग से कोई बजट निर्धारित नहीं किया गया है।